काशी हिन्दू विश्वविद्यालय BANARAS HINDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

सूचना-पुस्तिका

स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.ई.टी.) 2016

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा अपने विभिन्न स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2016-2017 में प्रवेश हेतु अप्रैल-जून 2016 [प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम का खण्ड-21 देखें] में प्रवेश परीक्षाएं, जिसे आगे 'पीईटी' कहा जायेगा, आयोजित की जाएंगी। अधोलिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करने वाले तथा प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए आवेदकों द्वारा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.ई.टी.) में प्राप्तांकों के श्रेष्ठता क्रम तथा आवेदित पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया हो। ये पाठ्यक्रम 'सामान्य पाठ्यक्रम', 'वृत्तिक पाठ्यक्रम', 'विशेष पाठ्यक्रम' तथा 'व्यावसायिक पाठ्यक्रम' में विभाजित किए गए हैं।

खंड-अ

1. **अध्ययन के पाठ्यक्रम, न्यूनतम पात्रता शर्तें एवं पाठ्यक्रम की अवधि**

नोट : अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपखण्ड 2 में उल्लिखित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता शर्तों में दी जाने वाली छूट तथा उपखण्ड 3 में दी गई न्यूनतम अर्हता शर्तों से संबंधित टिप्पणी का अध्ययन कर लें।

अ. सामान्य पाठ्यक्रम

(I) संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय :

(अ) आचार्य - वेद (शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद), व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष (ज्योतिष गणित, ज्योतिष फलित), धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदान्त, न्यायवैशेषिक, प्राचीन न्याय **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत (सभी तीन वर्षों में किए गए अध्ययन) अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(ब) आचार्य - सांख्ययोग, पुराणेतिहास : अवधि: (2 वर्ष: 4 सेमेस्टर)

सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत (सभी तीन वर्षों में किए गए अध्ययन) अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

बी.ए. स्तर पर संस्कृत एक विषय के साथ (सभी तीन वर्षों में) कम से कम 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(स) आचार्य - बौद्ध दर्शन : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत (सभी तीन वर्षों में किए गए अध्ययन) अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

बी.ए. स्तर पर संस्कृत/पाली एक विषय के साथ (सभी तीन वर्षों में) कम से कम 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(द) आचार्य - जैन दर्शन अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत (सभी तीन वर्षों में किए गए अध्ययन) अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

बी.ए. स्तर पर संस्कृत/प्राकृत एक विषय के साथ (सभी तीन वर्षों में) कम से कम 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(य) आचार्य - धर्मागम: अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

शास्त्री स्तर पर कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत (सभी तीन वर्षों में किए गए अध्ययन) अध्ययन किए गए सभी विषयों समेत कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित धर्मागम/योगतंत्र/आगमतंत्र/आगम/शैवागम (अध्ययन के सभी तीन वर्षों में) विषय के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

(अ) शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री/बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. स्तर पर अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री/बी.ए. (आनर्स)/बी.ए., केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो, एवं **(ब)** कुल प्राप्तांकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित आगमतंत्र में द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(ii) कला संकाय

(अ) एम.ए. बंगाली, अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़[@], उर्दू, संस्कृत, प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरा.++ (प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व), दर्शनशास्त्र, भूगोल, सांख्यिकी, गणित, गृह विज्ञान: अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय में बी.ए. स्तर पर अध्ययन किए गए सभी विषयों के कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। **जिस विषय में प्रवेश वांछित हो, बी.ए. (आनर्स) स्तर पर उस विषय में (आनर्स) अथवा बी.ए. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया होना आवश्यक है।**

टिप्पणी:

@ इस सत्रावधि में एम.ए. **कन्नड़** में प्रवेश नहीं लिया जायेगा।

****** शास्त्री (आनर्स) उपाधि वाले भी एम.ए. संस्कृत में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

++ बी.ए. स्तर पर सभी तीन भागों में एक विषय के रूप में प्राचीन इतिहास के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण भी एम.ए. प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरा. में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

एम.ए. सांख्यिकी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन किया होना आवश्यक है।

(ब) **एम.ए. भाषा विज्ञान :** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए सभी विषयों में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

वह अभ्यर्थी जो किसी भाषा-साहित्य, दर्शनशास्त्र, मानवविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, संगणक विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर प्रत्येक में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि (कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के उपरान्त) प्राप्त किया हो, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(स) एम.ए. नेपाली :

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक (आनर्स)/स्नातक/शास्त्री (बी-स्तरीय नेपाली उत्तीर्ण) के साथ नेपाली विषय में पीजी डिप्लोमा/ एडवांस डिप्लोमा/एक वर्षीय सेतु-पाठ्यक्रम के कुल अंकों के योग में बी.ए. तथा डिप्लोमा स्तर दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.ए. नेपाली में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(द) एम.ए. - अरबी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी, रसियन^, चाइनीज^ तेलगू : **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

उपरोक्त (अ) में (ii) कला संकाय के लिए यथाउल्लिखित न्यूनतम अर्हता शर्तें

अथवा

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय (अरबी/चाइनीज/फ्रांसीसी/मराठी/परसियन/रूसी/नेपाली/तेलगू) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा होने के साथ बी.ए. और डिप्लोमा, दोनों स्तरों पर, कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि।

टिप्पणी: ^इस सत्रावधि में एम.ए. रसियन/चाइनीज में प्रवेश नहीं लिए जायेंगे।

(ध) **एम.ए.- भारतीय दर्शन एवं धर्म (आईपीआर)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। दर्शनशास्त्र/धार्मिक अध्ययन अवश्य आनर्स विषय हो **अथवा** जिसे बी.ए. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अवश्य अध्ययन किया गया हो।

अथवा

कम से कम 10+2+3 पद्धति अथवा समकक्ष परीक्षा के अन्तर्गत धार्मिक अध्ययन विषय में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि।

अथवा

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ इस विश्वविद्यालय का भारतीय दर्शन एवं धर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसमें स्नातक एवं डिप्लोमा स्तरों पर प्रत्येक में पूर्णयोग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों।

(न) एम.ए. - कला का इतिहास : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक (बी.ए.) स्तर पर अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। बी.ए. (आनर्स) स्तर पर कला का इतिहास/प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व/इतिहास/चित्रकारी आनर्स विषय के रूप में अवश्य हो अथवा बी.ए. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो।

अथवा

बी.एफ.ए. (दृश्य कला)

अथवा

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि एवं कला इतिहास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसमें बी.ए. और डिप्लोमा स्तर पर प्रत्येक में पूर्णयोग में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक हो।

(प) एम.ए. - पालि : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत पालि /बौद्ध अध्ययन में बी.ए. (आनर्स)

अथवा

स्नातक (बी.ए.) स्तर पर सभी तीन वर्षों में पालि /बौद्ध अध्ययन रहा हो।

अभ्यर्थी बी.ए.(आनर्स)/बी.ए. स्तर दोनों में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अवश्य प्राप्त किया हो।

नोट : यदि अभ्यर्थी ने बीएचयू के बजाय किसी अन्य विश्वविद्यालय से पालि /बौद्ध अध्ययन का पाठ्यक्रम किया हो या विदेशी छात्र जिसने पालि /बौद्ध अध्ययन में भिन्न किस्म का पाठ्यक्रम अध्ययन किया हो तो एम.ए. - पालि हेतु अर्हता एवं साम्यता का निर्णय विभागीय प्रवेश समिति द्वारा लिया जाएगा।

(iii) सामाजिक विज्ञान संकाय

एम.ए - अर्थशास्त्र, इतिहास+, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान++ : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.ए. (आनर्स)/बी.ए./बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. स्तरों पर अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी., केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। जिस विषय में प्रवेश अपेक्षित है उसे स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अवश्य अध्ययन किया गया हो।

टिप्पणी : +यदि कोई अभ्यर्थी जिसने एक विषय के रूप में प्राचीन इतिहास के साथ बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उत्तीर्ण किया हो, वह एम.ए. इतिहास पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं है, परन्तु, वह कला संकाय में प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरा. में एम.ए. के लिए आवेदन कर सकता है।

++ यदि कोई अभ्यर्थी जिसने मनोविज्ञान एक आनर्स विषय के रूप में अथवा बी.एससी. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन करने के साथ बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. उत्तीर्ण हो, एम.एससी. मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है।

(iv) वाणिज्य संकाय:

एम.कॉम. : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.कॉम. (आनर्स)/बी.कॉम./बी.कॉम. (आनर्स)-एफ.एम.एम. स्तरों पर अध्ययन किए गए सभी विषयों में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.कॉम. केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(v) विज्ञान संस्थान :

(अ) एम.एससी. - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, संगणक विज्ञान#, भूगोल, गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत जिसमें विज्ञान विषयों (बी.एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। जिस विषय में प्रवेश अपेक्षित हो उसमें बी.एससी. स्तर पर आनर्स विषय हो/स्नातक स्तरों पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। यद्यपि, एम.एससी.-वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार, एम.एससी. सांख्यिकी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में गणित होना आवश्यक है।

टिप्पणी : #अभ्यर्थी का स्नातक के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में **संगणक विज्ञान** (संगणक विज्ञान के स्थान पर संगणक अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि न हो) का अध्ययन किया होना आवश्यक है।

(ब) एम.एससी. - जैवरसायन : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत जैवरसायन में बी. एससी. (आनर्स)/बी.एससी. के साथ स्नातक पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों में जैवरसायन एक विषय के रूप में हो और विज्ञान विषयों (बी.एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) के अतिरिक्त में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

अथवा

बी.एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान में बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. उपाधि, जिसमें विज्ञान विषयों (बी.एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्षों के लिए निम्नलिखित विषयों में से किसी दो का अध्ययन अवश्य किया हो, वे विषय हैं- रसायन विज्ञान, जैवरसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कार्यिकी, सूक्ष्मजैविकी, जैवप्रौद्योगिकी, औद्योगिक सूक्ष्मजैविकी।

(स) एम.एससी. - आणविक एवं मानव अनुवांशिकी : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों (अथवा समकक्ष ग्रेड प्वाइंट) के साथ बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. (10+2+3) या एमबीबीएस या बी.टेक./बीई. (जीव विज्ञान से सम्बन्धित विषयों में) या बी.फार्मा. और 10 तथा 10+2 परीक्षाओं में अलग-अलग प्राप्तांक 55 प्रतिशत से कम न हों।

(द) एम.एससी. (प्रौद्यो.) - भूभौतिकी : अवधि : 6 सेमेस्टर (3 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.एससी. (आनर्स)/बी. एससी. उपाधि के साथ विज्ञान विषयों (बी.एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) भौतिक विज्ञान, गणित और एक अन्य विज्ञान विषय के साथ कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

(य) एम.एससी. (प्रौद्यो.) - भूगर्भशास्त्र : अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान विषयों (बी.एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. हो। बी.एससी. (आनर्स) स्तर पर भू-गर्भ विज्ञान एक आनर्स विषय के रूप में/स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अवश्य अध्ययन किया गया हो।

ब. वृत्तिक (प्रोफेसनल) पाठ्यक्रम

(i) **चिकित्सा विज्ञान संस्थान :**

एम.एससी. - स्वास्थ्य सांख्यिकी : **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. जिसमें विज्ञान विषयों (बी.एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। बी.एससी. (आनर्स) स्तर पर सांख्यिकी एक आनर्स विषय के रूप में/बी.एससी. स्तर पर सभी तीन भागों में एक विषय के रूप में अवश्य अध्ययन किया हो।

(ii) कृषि विज्ञान संस्थान :

एम.एससी. (कृषि) (मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस): कृषि अर्थशास्त्र ; सस्य विज्ञान ; पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय विज्ञान; कीटविज्ञान एवं कृषि जन्तुविज्ञान ; विस्तारण शिक्षा ; आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन ; औद्यानिकी ; कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान ; पादप संरचना विज्ञान ; मृदा विज्ञानएवं कृषि रसायन

अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

1. अभ्यर्थी भा.कृ.अ.प. के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के साथ चार वर्षीय बीएससी (कृषि) उपाधि अथवा कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. केवल भा.कृ.अ.प. के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के साथ चार वर्षीय बी.एससी. (औद्यानिकी) उपाधि धारक अभ्यर्थी को ही एम.एससी. (औद्यानिकी) में प्रवेश के लिए विचार किया जायेगा।
3. एम.एससी. (कृषि)- पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय विज्ञान में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी भा.कृ.अ.प. के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के साथ पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय विज्ञान (अब बी.एससी.(एच) दुग्ध व्यवसाय विज्ञान) में चार वर्षीय बी.एससी. उपाधि धारक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 6.00/10 या 2.5/4, 3.5/5, 4.0/6 ओजीपीए।
5. अभ्यर्थी अपने/अपनी शैक्षणिक जीवन में एक बार से अधिक तृतीय श्रेणी या समकक्ष ओजीपीए प्राप्त न किया हो।

(iii) दृश्य कला संकाय :

एम.एफ.ए. चित्रकला (पेंटिंग), प्रयुक्त कला, प्लास्टिक कला, मृद्भाण्ड एवं सिरेमिक्स,
वस्त्र (टेक्सटाइल) डिजाइन :

अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

सम्बन्धित विषय में (10+2+4 पद्धति या न्यूनतम 10+5 पद्धति) कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ बी.एफ.ए. उत्तीर्ण।

(iv) संगीत एवं मंच कला संकाय :

(अ) एमपीए - गायन/वादन (सितार, वायलिन, बाँसुरी, तबला) **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

इस विश्वविद्यालय से गायन/वादन उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में (सितार, वायलिन, बाँसुरी या तबला) में बी.म्यूज. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा में प्रायोगिक संगीत (म्यूजिक प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

अथवा

इस विश्वविद्यालय से कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. उपाधि के साथ एक विषय के रूप में संगीत उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष के प्रायोगिक संगीत (म्यूजिक प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। बी.ए. (आनर्स) स्तर पर संगीत एक आनर्स विषय अवश्य हो/स्नातक स्तर के सभी तीन भागों में एक विषय के रूप में अवश्य अध्ययन किया गया हो।

अथवा

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई भी स्नातक उपाधि, बशर्ते अभ्यर्थी ने अग्रलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा भी उत्तीर्ण करने के साथ-साथ प्रायोगिक संगीत (म्यूजिक प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

(अ) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा। (ब) भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा। (स) मध्य प्रदेश सरकार, म.प्र. की संगीत रत्न परीक्षा। (द) शंकर गन्धर्व विद्यालय की संगीत विशारद परीक्षा। (य) ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल, मुम्बई की संगीत विशारद परीक्षा। (र) इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की संगीत विद् परीक्षा। (ल) राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर की बी. म्यूज. (प्रभाकर) परीक्षा।

(ब) **एमपीए नृत्य : कथक/भरत नाट्यम्** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

इस विश्वविद्यालय से **भारतीय शास्त्रीय नृत्य** (कथक/भरत नाट्यम्) में बी. म्यूज./बीपीए नृत्य अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा में प्रायोगिक नृत्य (डांस प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

अथवा

बी.पी.ए. भारतीय शास्त्रीय नृत्य/बी.ए.* या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रायोगिक नृत्य (डान्स प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों सहित मुख्य विषय के रूप में नृत्य (भारतीय शास्त्रीय) के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत कोई भी स्नातक उपाधि, बशर्ते अभ्यर्थी ने अग्रलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा भी उत्तीर्ण करने के साथ-साथ प्रायोगिक नृत्य (डान्स प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों :

(अ) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर (नृत्य) परीक्षा। (ब) भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद (नृत्य) परीक्षा। (स) भातखण्डे संगीत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ की संगीत प्रबुद्ध (नृत्य) परीक्षा। (द) इन्दिरा कला संगीत विद्यालय, खैरागढ़ की विद् (नृत्य) परीक्षा। (य) वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान की उत्तमा (नृत्य) परीक्षा। (र) ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल, मुम्बई की संगीत विशारद (नृत्य) परीक्षा। (ल) कला क्षेत्र, चेन्नई का पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण।

'केवल उन विश्वविद्यालयों के लिए जो केवल नृत्य में उपाधि प्रदान करते हैं।

(स) एमपीए- संगीतशास्त्र (म्यूजिकोलॉजी) **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

इस विश्वविद्यालय से गायन/वादन - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत (सितार, वायलिन, बाँसुरी या तबला) में बी.म्यूज. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा में सैद्धान्तिक संगीत के साथ-साथ प्रायोगिक संगीत में भी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

अथवा

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा में बी.ए. (आनर्स)/बी.ए. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.म्यूज़ **उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत** (गायन या वादन - तार वाले या वायु वाले/या तबला), में सैद्धान्तिक के साथ-साथ प्रायोगिक संगीत में भी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत कोई भी स्नातक उपाधि, बशर्ते अभ्यर्थी ने अग्रलिखित परीक्षाओं में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ-साथ सैद्धान्तिक संगीत में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो।

(अ) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा। (ब) भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा। (स) मध्य प्रदेश सरकार, म.प्र. की संगीत रत्न परीक्षा। (द) शंकर गन्धर्व विद्यालय की संगीत विशारद परीक्षा। (य) ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल, मुम्बई की संगीत विशारद परीक्षा। (र) इन्दिरा कला संगीत विद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़) की संगीत विद् परीक्षा। (ल) राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर की बी.म्यूज़. (प्रभाकर) परीक्षा।

(v) शिक्षा संकाय

(अ) **एम.एड. (शिक्षा निष्णात) :** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को अग्रलिखित किसी भी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त किया होना चाहिए **:** स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि के साथ **(**प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड सहित) बी.एड. (ii) बी.ए.बी.एड., बी.एस-सी. बी.एड. (iii) बी.इआई.एड. (iv) डी.इआई.एड.

(ब) एम.एड.- विशेष शिक्षा (दृ.बा.)* **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

अर्हता **:** 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के साथ-साथ बी.एड.-विशेष शिक्षा (दृ.बा.) (दृष्टि बाधित)/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (विशेष शिक्षा (दृ.बा.) में 50 प्रतिशत अंकों सहित कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा (दृ.बा.)/बी.एड. ।

अथवा

कोई परास्नातक उपाधि के साथ बी.एड. - विशेष शिक्षा (दृ.बा.)/ बी.एड. के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (विशेष शिक्षा (दृ.बा.) में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी.एड. (विशेष शिक्षा (दृ.बा.)/बी.एड. में 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए।

*भारतीय पुनर्वास परिषद (आर सी आई) से प्राप्त मान्यता के अधीन ।

(स) एम.एड.- विशेष शिक्षा (श्र.बा.)* **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

अर्हता **:** 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के साथ-साथ बी.एड.-विशेष शिक्षा (श्र.बा.) (श्रवण बाधित)/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (विशेष शिक्षा (श्र.बा.) में 50 प्रतिशत अंकों सहित कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा (श्र.बा.)/बी.एड. ।

अथवा

कोई परास्नातक उपाधि के साथ बी.एड. - विशेष शिक्षा (श्र.बा.)/ बी.एड. के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (विशेष शिक्षा (श्र.बा.) में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी.एड. (विशेष शिक्षा (श्र.बा.)/बी.एड. में 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए।

*भारतीय पुनर्वास परिषद (आर सी आई) से प्राप्त मान्यता के अधीन ।

(vi) कला संकाय

(अ) **एम.ए.- जन संप्रेषण** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए सभी विषयों में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और उसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, परन्तु स्नातकोत्तर तथा स्नातक दोनोम स्तरों पर अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो।

(ब) **एम.ए. - संग्रहालय विज्ञान (म्यूजिओलॉजी)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के पश्चात कला का इतिहास/प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति व पुरातत्व/इतिहास/संस्कृत विषय में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.ए.।

(स) **एम.ए. - प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए सभी विषयों में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और उसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। (टिप्पणी : अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा से पूर्णतः परिचित होना चाहिए, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अध्यापन का माध्यम केवल हिन्दी ही है)।

(द) **एम.लिब. आई.एससी. (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में निष्णात)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए सभी विषयों में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और उसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(य) **एम.ए.- पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पुरालेखशास्त्र** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**
(पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के अंतर्गत)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक (आनर्स/स्नातक)उपाधि स्तर पर अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। स्नातक (आनर्स) स्तर पर भारतीय भाषाओं/प्राच्य भाषाओं /इतिहास/प्रा.भा.इ.स./दर्शन/कला इतिहास/ भाषा विज्ञान।

अथवा

उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

(र) **एम.पी.एड. (शारीरिक शिक्षा निष्णात)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चार वर्षीय शारीरिक शिक्षा (प्रोफेशनल) में स्नातक।

टिप्पणी :

(1) केवल एनसीटीई से अनुमोदित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बी.पी.एड. उपाधि के समकक्ष माने जाएंगे।

(2) एम.पी.एड. में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं।

(vii) विधि संकाय

एलएल.एम. (विधि निष्णात) अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के पश्तात तीन वर्षीय एलएल.बी. या 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त पंचवर्षीय एलएल.बी., जिसमें एलएल.बी. उपाधि में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(viii) विज्ञान संस्थान

एमसीए (संगणक अनुप्रयोग निष्णात) (मुख्य परिसर और राजीव गांधी दक्षिणी परिसर)

अवधि : 6 सेमेस्टर (3 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि, जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (स्नातक स्तरों पर अध्ययन किए गए सभी विषयों सहित, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो) के साथ एक विषय के रूप में गणित या तो इण्टरमीडिएट अथवा +2 (10+2) या समकक्ष परीक्षा, या स्नातक स्तर पर (प्रमुख या सहायक विषय) रहा हो।

टिप्पणी* : एमसीए पाठ्यक्रम राजीवगांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के तहत संचालित है जिसकी शुल्क संरचना रू. 60,000 प्रति सेमेस्टर+विश्वविद्यालय द्वारा एमसीए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित नियमित शुल्क है। सीटों की अधिकतम सं. 20 है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्थान के चयन/वरीयता का विकल्प देना होगा तथा प्रवेश मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किया जायेगा। यदि एमसीए हेतु विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम सीटों की संख्या से कम होगी तो उस शैक्षणिक सत्र में वह पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा।

(ix) महिला महाविद्यालय

(अ) एम.एससी.- जैव सूचना विज्ञान (बायोइन्फॉर्मेटिक्स) [केवल महिलाओं के लिए] अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

(अ) विज्ञान के साथ 10+2, (ब) कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/कृषि/चिकित्सा/पशुचिकित्सा विज्ञान/फार्मास्यूटिक्स में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि।

टिप्पणी: (i) **पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है।** (ii) सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अर्हता परीक्षा के समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थीगण भी अर्ह होंगे (यदि वे सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करते हों)।

(ब) एम.ए.- (शिक्षा निष्णात) [केवल महिलाओं के लिए] अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत शिक्षा (आनर्स) के साथ स्नातक/ स्नातक के किसी भी तीन वर्षों में शिक्षा एक विषय के रुप में रहा हो/अथवा स्नातक स्तर पर कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एड./बीएड. (विशेष.) सहित 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत कोई स्नातक हो।

टिप्पणी : पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है; सीटों की संख्या : 30

नोट : अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपखण्ड 2 में उल्लिखित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता शर्तों में दी जाने वाली छूट तथा उपखण्ड 3 में दी गई न्यूनतम अर्हता शर्तों से संबंधित टिप्पणी का अध्ययन कर लें।

स. विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :

i. **निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यताक्रम के आधार पर किए जाएंगे।** तथापि, यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम हेतु आवेदकों की संख्या न्यूनतम सीटों की संख्या के दुगुने से कम होती है, तो प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उस स्थिति में विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हता परीक्षा के योग्यताक्रम के आधार पर और/या विभाग/संकाय द्वारा आयोजित लिखित/वस्तुपरक परीक्षण के आधार पर किए जाएंगे।

ii. यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए आवेदकों की संख्या पाठ्यक्रम में न्यूनतम सीटों की संख्या से कम होती है, तो सत्र 2016-17 में वह पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा।

iii. पाठ्यक्रम के लिए नीचे दी गयी शुल्क संरचना बी.एच.यू. के नियमित पाठ्यक्रम में ली जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त होगी।

i. कला संकाय

(अ) **पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन निष्णात** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान: कला का इतिहास विभाग एवं *रा.गां.द.प. (दोनों)

सीटें : न्यूनतम 10 - मुख्य परिसर ; अधिकतम : 30 - मुख्य परिसर ;

न्यूनतम 15- रा.गां.द.प; अधिकतम : 40- रा.गां.द.प, शुल्क: रु. 20,000/- प्रति सेमेस्टर

अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

***राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के लिए न्यूनतम/अधिकतम सीटें 15/40 हैं।**

(ब) **एम.ए.- कार्पोरेट संप्रेषण प्रबंधन** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान: पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 20 शुल्क: रु. 30,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

(ii) सामाजिक विज्ञान संकाय

(अ) **कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध निष्णात** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : मनोविज्ञान विभाग

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 46 शुल्क : रु. 60,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

(ब) **एम.ए.- सामाजिक कार्य** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**
स्थान : समाज विज्ञान विभाग
सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 46 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष
अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

(स) **एम.ए.- लोक प्रशासन** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**
स्थान : राजनीति विज्ञान विभाग
सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 38 शुल्क : रु. 15,000/- प्रति वर्ष
अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

(द) **एम.ए.- संघर्ष (कानफ्लिक्ट) प्रबंधन एवं विकास (एमसीएमडी)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**
स्थान : मालवीय शांति शोध केंद्र
सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 46 शुल्क : रु. 15,000/- प्रति वर्ष
अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

(य) **कला निष्णात - समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**
स्थान : समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन केंद्र
सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 50* शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष
अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

***नोट : 5 (पाँच) सीटें सरकार, सार्वजनिक निकाय एवं संस्थानों, औद्योगिक कंपनियों, अन्य सार्वजनिक संगठनों, बीएचयू समेत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्टाफ सदस्य, मानित विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थाओं से प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए तथा दूसरी 5 (पाँच) सीटें विदेशी नागरिक श्रेणी के अंतर्गत हैं।**

(iii) वाणिज्य संकाय

(अ) **एमबीए (विदेशी व्यापार)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**
स्थान : वाणिज्य संकाय
सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 30 शुल्क : **रु. 50,000/- प्रति वर्ष**
अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

(ब) **एमबीए (जोखिम एवं बीमा)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**
स्थान : वाणिज्य संकाय
सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 30 शुल्क : **रु. 50,000/- प्रति वर्ष**
अर्हता : अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।

(स) **एमबीए (वित्तीय प्रबंधन)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : वाणिज्य संकाय

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 46 शुल्क : **रु. 50,000/- प्रति वर्ष**

अर्हता : **अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम (10+2+3) पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि हो।**

(iv) विज्ञान संस्थान

(अ) **एम.एससी.- पर्यावरण विज्ञान** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : वनस्पति विज्ञान विभाग

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 31 शुल्क : **रु. 30,000/- प्रति वर्ष**

अर्हता : बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. **(10+2+3) में न्यूनतम 50 प्रतिशत (समतुल्य जीपीए) अंकों के** साथ-साथ 10 एवं 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

(ब) **एम.एससी.- प्रयुक्त सूक्ष्म जैविकी** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : वनस्पति विज्ञान विभाग

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 31 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.एससी. (आनर्स)/बी.एससी. में निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों: वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्मजैविकी, जीवन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ सम्बन्धित उपाधि में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(स) **एम.एससी.- पेट्रोलियम भूविज्ञान** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : भूगर्भ विज्ञान विभाग

सीटें : न्यूनतम 05 ; अधिकतम : 10 शुल्क : रु. 50,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.एससी. (आनर्स) भूगर्भ विज्ञान या बी.एससी. के साथ +2 स्तर पर भौतिकी एवं गणित, और स्नातक स्तर पर कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित बी.एससी. के सभी तीन वर्षों में भूगर्भ विज्ञान एक विषय के रुप में अवश्य होना चाहिए।

(द) **एम.एससी.- सांख्यिकी एवं संगणन** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : अंतर-विषयी गणितीय विज्ञान डीएसटी केंद्र

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 40 शुल्क : रु. 40,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी.एससी/ बी.ए. स्नातक और बी.एससी/ बी.ए. स्तर पर कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित सांख्यिकी एवं गणित विषय अवश्य अध्ययन किया होना चाहिए।

(य) **एम.एससी.- संगणकीय विज्ञान एवं संकेत प्रसंस्करण में अनुप्रयोग** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : अंतर-विषयी गणितीय विज्ञान डीएसटी केंद्र

सीटें : न्यूनतम 05 ; अधिकतम : 20 शुल्क : रु. 25,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : **(अ)** 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान विषयों (बी.एससी (आनर्स) के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में रखते हुए) के कुल अंकों के योग में 50 प्रतिशत अंकों सहित बी.एससी(आनर्स)/ बी.एससी तथा **(ब)** अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रानिक्स/ संगणक विज्ञान एक विषय के रुप में अवश्य लिया हो।

अथवा

(ब). अभियांत्रिकी एवं विज्ञान विषय (पाठ्यक्रम के सभी चार/पाँच वर्षों को संज्ञान में रखते हुए) के कुल अंकों के योग में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों सहित इलेक्ट्रानिक्स/संचार/इलेक्ट्रिकल/संगणक/यांत्रिकी संबंधित विषयों में) बी. टेक./बी.ई. हो।

नोट : बीसीए (संगणक अनुप्रयोग स्नातक), सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक (बीआईटी) इत्यादि उपाधि धारक अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम के लिए अर्ह नहीं हैं।

(र) **एम.एससी.- फोरेंसिक विज्ञान** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : रसायन विभाग, विज्ञान संकाय

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 30 शुल्क : रु. 40,000/- प्रति सेमेस्टर

US$1000 प्रति सेमेस्टर (विदेशी छात्रों हेतु)

अर्हता : (i) स्नातक स्तर पर मुख्य विषय (कम के कम तीन विषयों का संयोजन) के रुप में वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन, भौतिकी, गणित, आनुवंशिकी, सूक्ष्मजैविकी, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान, संगणक विज्ञान, सांख्यिकी, फोरेंसिक विज्ञान तथा भूगर्भ विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाला कोई विज्ञान स्नातक जिसे 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों। **अथवा**
(ii) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कोई भी स्नातक जिसने /एमबीबीएस /बीडीएस /बी.टेक /बी.ई. /बी. फार्मा किया हो और कुल अंको के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो ।

(v) **विधि संकाय**

(अ) एलएल. एम. पाठ्यक्रम - मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : विधि संकाय

सीटें : न्यूनतम 05 ; अधिकतम : 15 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के पश्चात तीन वर्षीय एलएल.बी. या बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एलएल.बी. उपाधि के कुल प्राप्तांकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित 10+2+5 पद्धति के अन्तर्गत पंचवर्षीय एलएल.बी.।

(ब) एलएल. एम. पाठ्यक्रम **अवधि : 2 सेमेस्टर (1 वर्ष)**

स्थान : विधि संकाय

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 20 शुल्क : रु. 60,000/- प्रति वर्ष

अर्हता : कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के पश्चात तीन वर्षीय एलएल.बी. या बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एलएल.बी. उपाधि के कुल प्राप्तांकों के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित 10+2+5 पद्धति के अन्तर्गत पंचवर्षीय एलएल.बी.।

आयु : जिस वर्ष प्रवेश लेना है उस वर्ष 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vi) **प्रबन्ध शास्त्र संस्थान** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

एमबीए- कृषि-कारोबार

स्थान : राजीव गांधी दक्षिणी परिसर

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 46 शुल्क : रु. **90,000/-** प्रति वर्ष

अर्हता : 10+2+3 योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक विषय - वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी के साथ बी.एससी. (कृषि) एवं सम्बंधित विषयों या बी.एससी. गृह विज्ञान या बी.एससी. में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अथवा उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।

(vii) कृषि विज्ञान संस्थान

(अ) **एम.एससी. (कृषि) कृषिवानिकी** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : राजीव गांधी दक्षिणी परिसर

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 23 शुल्क : रु. 20,000/- प्रति सेमेस्टर

अर्हता : विश्वविद्यालय की चतुर्वर्षीय बी.एससी. (कृषि)/बी.एससी. (जीवविज्ञान)/बी.एससी. पर्यावरण विज्ञान/ बी.एससी.(औद्यानिकी) / बी.एससी कृषिवानिकी/ बी.एससी वानिकी परीक्षा उत्तीर्ण जिसमें पारम्परिक प्रणाली के अन्तर्गत अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली के अन्तर्गत 2.5/4, 3.5/5, 4.0/6 व 6.0/10 का सीजीपीए हो।

(ब) **एम.एससी. (कृषि) मृदा एवं जल संरक्षण** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : राजीव गांधी दक्षिणी परिसर

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 15 शुल्क : रु. 20,000/- प्रति सेमेस्टर

अर्हता : विश्वविद्यालय की चतुर्वर्षीय बी.एससी. (कृषि) परीक्षा उत्तीर्ण जिसमें पारम्परिक प्रणाली के अन्तर्गत अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या पाठ्यक्रम क्रेडिट प्रणाली के अन्तर्गत 2.5/4, 3.5/5, 4.0/6 व 6.0/10 का सीजीपीए हो।

(स) **कृषि-कारोबार प्रबंधन निष्णात (एमएबीएम)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : कृषि अर्थशास्त्र विभाग

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 25 शुल्क : रु. 37,500 प्रति सेमेस्टर (रु. 75,000/- प्रति वर्ष)

अर्हता : विश्वविद्यालय की चतुर्वर्षीय बी.एससी. (कृषि) **अथवा** कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** बी. एससी. (कृषि) (वानिकी)/बी. एससी. (कृषि) (औद्यानिकी)/ बी.एससी. (आनर्स) (वानिकी)/ बी.एससी. (आनर्स) (औद्यानिकी)/ बी.एससी. (आनर्स) जैवप्रौद्योगिकी/बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)/बी.ई. (कृषि अभियांत्रिकी)/बी.वी.एससी. एवं ए.एच./बी.टेक (डेयरी प्रौद्योगिकी)/बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) में चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें पारम्परिक प्रणाली के अन्तर्गत पूर्णयोग में कम से कम 50 प्रतिशत अंक **अथवा** कोर्स क्रेडिट प्रणाली के अन्तर्गत 2.5/4, 3.5/5, 4.0/6 व 6.0/10 का सीजीपीए हो।

(द) **एम.टेक. - कृषि अभियांत्रिकी (मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी)** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : फार्म अभियांत्रिकी विभाग

सीटें : न्यूनतम 05 ; अधिकतम : 12 शुल्क : रु. 25,000 प्रति सेमेस्टर (रु. 50,000/- प्रति वर्ष)

अर्हता : विश्वविद्यालय द्वारा मान्य बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी/सिविल अभियांत्रिकी)/बी.ई.(कृषि अभियांत्रिकी/सिविल अभियांत्रिकी)।

(य) **एम.एससी.- खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम: 30 शुल्क : रु. 30,000 प्रति सेमेस्टर (रु. 60,000/- प्रति वर्ष)

अर्हता : बी. टेक, (खाद्य प्रौद्योगिकी) / बी. टेक, (डेयरी प्रौद्योगिकी) /बी.एससी. (कृषि), बी.एससी. (खाद्य प्रौद्योगिकी), बी.एससी. (डेयरी प्रौद्योगिकी), बी.एससी. (कृषि अभियांत्रिकी), बी.एससी. (जीवविज्ञान/गणित समूह), बी.एससी. (गृह विज्ञान), या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य कोई समकक्ष परीक्षा।

(र) **एम.एससी. - पादप जैव प्रौद्योगिकी** **अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)**

स्थान : राजीव गांधी दक्षिणी परिसर

सीटें : न्यूनतम 20 ; अधिकतम : 30 शुल्क : रु. 30,000 प्रति सेमेस्टर (रु. 60,000/- प्रति वर्ष)

अर्हता : बी.एससी.(कृषि) / जीव विज्ञान के साथ बी.एससी. (वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, तथा कोई अन्य विषय)/जैव प्रौद्योगिकी /बी.टेक. (जैव प्रौद्योगिकी)।

(viii) पर्यावरण एवं सम्पोष्य विकास संस्थान

(अ) एम.एससी.- पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण प्रौद्योगिकी) अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष)

स्थान: राजीव गांधी दक्षिणी परिसर

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 30 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष)

अर्हता : न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (समतुल्य जीपीए) के साथ बी.एससी. (आनर्स)/ बी.एससी. (10+2+3) या बी.एससी. (कृषि) या एमबीबीएस अथवा बीई/बी.टेक. एवं 10वीं, और 12वीं स्तर पर पूर्णयोग में प्राप्तांक न्यूनतम 50 प्रतिशत हो।

द व्यावसायिक पाठ्यक्रम

(i) **कला संकाय**

व्यावसायिक पाठ्यक्रम निष्णात

(अ) खुदरा प्रबंधन में व्यवसाय निष्णात अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष) पाठ्यक्रम कूट संख्या. 704

स्थान: डीडीयू कौशल केंद्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू

सीटें : अधिकतम : 50 शुल्क : विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 2381/- (प्रति- सेमेस्टर)
विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 30,000/- प्रति सेमेस्टर)

न्यूनतम अर्हता शर्तें : किसी भी विषय में 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-7 या व्यवसाय स्नातक (खुदरा प्रबंधन) या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी व्यवसाय निष्णात (खुदरा प्रबंधन) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(ब) लॉजिस्टिक प्रबंधन में व्यवसाय निष्णात अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष) पाठ्यक्रम कूट संख्या. 704

स्थान: डीडीयू कौशल केंद्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू

सीटें : अधिकतम : 50 शुल्क : विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 2381/- (प्रति सेमेस्टर)
विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 30,000/- प्रति सेमेस्टर)

न्यूनतम अर्हता शर्तें : किसी भी विषय में 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-7 या व्यवसाय स्नातक (लॉजिस्टिक प्रबंधन) या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी व्यवसाय निष्णात (लॉजिस्टिक प्रबंधन) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(स) आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन में व्यवसाय निष्णात अवधि : 4 सेमेस्टर (2 वर्ष) पाठ्यक्रम कूट संख्या. 704

स्थान: डीडीयू कौशल केंद्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू

सीटें : अधिकतम : 50 शुल्क : विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 2381/- (प्रति सेमेस्टर)
विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 30,000/- प्रति सेमेस्टर)

न्यूनतम अर्हता शर्तें : किसी भी विषय में 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-7 या व्यवसाय स्नातक (आतिथ्य एवं

पर्यटन प्रबंधन) या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी व्यवसाय निष्णात (आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

2. अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) और शारीरिक विकलांग (शावि) के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अर्हता में छूट

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों हेतु अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) के अभ्यर्थियों के लिए अर्हता परीक्षा के योग में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, परन्तु उन्हें अर्ह परीक्षा में पास होना चाहिए तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में अर्हता परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांकों के कुल योग में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी।

3. न्यूनतम अर्हता शर्तों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ

i. अर्हता परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते/सकती हैं और प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते/सकती हैं। इसके अतिरिक्त, जिन छात्रों को किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग हेतु बुलाया गया है किन्तु वे काउन्सिलिंग के समय अपेक्षित न्यूनतम अर्हता परीक्षा का अंकपत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें भी कतिपय शर्तों के अन्तर्गत प्रवेश लेने की अनुमति होगी। **फिर भी, शर्त आधारित प्रवेश की शर्तें होंगी- (अ) ऐसे अभ्यर्थियों को यह वचन (अन्डरटेकिंग) देना होगा कि वे न्यूनतम अर्हता परीक्षा का मूल अंकपत्र 31 अक्टूबर 2016 से पहले प्रस्तुत कर देंगे। (ब) अर्हता पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पिछली परीक्षाओं के अंकपत्रों से यह स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी ने कुल अंकों (उदाहरणार्थ 50 प्रतिशत) में से निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हैं (अर्ह परीक्षा के अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर की परीक्षा को छोड़कर); (एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी नहीं है)। यदि वे 31 अक्टूबर 2016 से पूर्व अपेक्षित अंकपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनका प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा और वे शर्त आधारित प्रवेश हेतु अदा किये गये शुल्क की वापसी का दावा नहीं करेंगे।**

ii. ऐसे अभ्यर्थी जो इस विश्वविद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश परीक्षा द्वारा पूर्व में **प्रवेश** लिए हों और उस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह रहे हों, **उन्हें विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उसी पाठ्यक्रम के उन्हीं विषय समूहों में सम्मिलित होने हेतु अनुमति नहीं होगी जब तक कि सम्बन्धित संकाय के आर्डिनेंस में इस तरह की अनुमति न दी गयी हो। तथापि, उक्त पाठ्यक्रम के विषय समूह परिवर्तन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।** पुनश्च, ऐसे अभ्यर्थी जो सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उपस्थिति के अभाव में अर्ह नहीं थे या समय से परीक्षा आवेदन पत्र जमा नही किए रहे हों, उन्हें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी यदि वे अन्यथा अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर या उच्चतर वर्ष) में पंजीकृत हों उन्हें भी उक्त पाठ्यक्रम या विषय समूह परिवर्तन हेतु प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं होगी।

iii. यदि अभ्यर्थी ने अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है जहाँ ग्रेड प्वाइंट दिये जाते हैं तथा :

(अ) यदि ग्रेडशीट ग्रेड प्वाइंट के समकक्ष अंक प्रतिशत को नहीं दर्शाता है तो अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान से समकक्ष अंक प्रतिशत का प्रमाण पत्र अथवा अंक प्रतिशत निकालने सम्बन्धी सूत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ब) यदि ग्रेडशीट पर ग्रेड प्वाइंट से अंकों का प्रतिशत निकालने का सूत्र या उसका प्रतिदर्श दिया हो, तो अभ्यर्थी को उस ग्रेडशीट या उपाधि के दोनों पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iv. सम्पूर्ण योग के प्रतिशत में अभ्यर्थी को प्राप्त ग्रेस मार्क या कृपांक भी सम्मिलित होंगे। सम्पूर्ण योग में अंकों के प्रतिशत की गणना अर्ह परीक्षा की अन्तिम वर्ष के अंकपत्र के आधार पर की जायेगी। तथापि स्नातक परीक्षा के

सम्बन्ध में जहां अंकपत्र केवल आनर्स विषय के आधार पर दो अथवा दो से अधिक प्रकार के हैं अथवा तीनों वर्षों में अध्ययन किये गये सभी विषयों पर आधारित हैं, सम्पर्ण योग की गणना तीन वर्ष में अध्ययन किये गये सभी विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जायेगी। उदाहरणार्थ- बीएचयू से बीए आनर्स/बीएससी आनर्स के उत्तीर्ण छात्रों के सम्बन्ध में विगत वर्षों में अंतिम अंकपत्र दो तरह के अर्थात 1000 अंक अथवा 1800 अंक पर आधारित थे। ऐसे मामलों में, सम्पूर्ण योग की गणना पूर्णांक 1800 के आधार पर की जायेगी न कि 1000 के आधार पर। **इसके अतिरिक्त, जहां अन्तिम अंकपत्र केवल आनर्स विषय पर आधारित है किन्तु अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अन्य ऐच्छिक/समान विषय का भी अध्ययन किया है, इन विषयों के अंक भी सम्पूर्ण योग के प्रतिशत की गणना में शामिल किये जाएंगे।** इसके बाबजूद किसी तरह की अस्पष्टता/व्याख्या सम्बन्धी दुरूहता के मामले में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

v. (अ) केवल भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि/प्रमाण पत्र ही समकक्ष उपाधि/प्रमाण पत्र माने जायेंगे।

(ब) केवल इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दूरस्थ शिक्षा परिषद्/भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) को ही **दूरस्थ शिक्षा** की उपाधियां/प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करने का अधिकार है। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को **अस्थायी** तौर पर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, किन्तु उन्हें इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (इग्नू) की दूरस्थ शिक्षा परिषद् अथवा अन्य मान्य परिषद् से पाठ्यक्रम की मान्यता/अनुमोदन संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

(स) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों के 10+2 स्तर के पाठ्यक्रम बीएचयू के बी.ए. (आनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।

vi. पाठ्य नियमावली में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, शैक्षणिक सत्र से सम्बन्धित सूचना पुस्तिका में वर्णित अपेक्षित पात्रता के आधार पर ही प्रवेश लिया जायेगा।

vii. अभ्यर्थियों द्वारा जाली/फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ अथवा धोखाधड़ी के जरिए जमा किए गए आवेदन पत्र **अस्वीकृत** कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाद की किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।

viii. अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रवेश के समय उपाधि/अंक पत्र/प्रमाण पत्र के सत्यापन, अर्हता परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्र की वैधता तथा पूर्व में विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग न करने के अधीन प्रदान की जाती है।

ix. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा पीईटी में उत्तीर्णांक अर्जित कर लेने मात्र से ही अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं हो जायेगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्हता शर्तों को पूरा न करता हो। **आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्धारित अर्हता शर्तों को पूर्ण करने के प्रति पूर्णरुपेण आश्वस्त हो जाना चाहिये।**

x. यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है, जो अन्यथा न्यूनतम अर्हता-शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वह बाद में इसे आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा/सकेगी कि वह अर्हता-शर्तें पूरी करता/करती है।

विश्वविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश निरस्त/अस्वीकृत करने का अधिकार है, यदि यह पाया जाता है कि :

i. अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूरी न करता हो।

ii. फर्जी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं या तथ्यों को छिपया गया हो।

iii. इसी प्रकार के कोई दूसरे वैध कारण हों।

xi. इस विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुका अभ्यर्थी एक ही समय में इस विश्वविद्यालय अथवा किसी दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थान से कोई अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अर्ह नहीं है।

xii. अभ्यर्थी जिस किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अर्ह है, उन सभी के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि प्रवेश परीक्षा अलग-अलग तिथियों पर हो (कृपया प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम देखें)।

4. **आरक्षण**

(i) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :**

प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के लिये (15 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति के लिये (7.5 प्रतिशत) सीटें आरक्षित रहेंगी। इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी का अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का 'बार काउंसिल ऑफ इण्डिया' की संस्तुतियों के अनुसार अर्हता परीक्षा में तीनों वर्षों में सभी विषयों के आधार पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित होने का स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :

(अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

(द) उस क्षेत्र का प्रखण्ड अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो।

(य) प्रशासक/प्रशासक-सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिये कि अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए : (अ) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है? (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम जहाँ का वह सामान्यतया निवासी है, और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

तथापि, यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी में प्रवेश लेने का इच्छुक है (उदाहरणार्थ: शारीरिक विकलांगता/कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग आदि) तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

(ii) **अन्य पिछड़ा वर्ग :**

ओबीसी श्रेणी (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जायेंगे। ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी, एस.सी/एस.टी. के मामले में उपरोक्त धारा 6 (i) के अनुसार ही होगे। ओबीसी प्रमाण पत्र में केवल वही जातियां होंगी जो केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, ओबीसी प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमिलेयर के अन्तर्गत नही हैं। तथापि, यदि कोई ओबीसी अभ्यर्थी किसी दूसरी श्रेणी (उदाहरणार्थ- शारीरिक विकलांग/कर्मचारी प्रतिपाल्य इत्यादि) के अन्तर्गत प्रवेश लेना चाहता है तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

(iii) **शारीरिक विकलांग :**

शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों हेतु 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी : दृष्टि विकलांगता (1 प्रतिशत) + बधिर विकलांगता (1 प्रतिशत) + अस्थि विकलांगता (1 प्रतिशत) (क्षैतिज स्तर पर आरक्षण)। ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। सम्भावित अस्थायी प्रवेश हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को बी.एच.यू. द्वारा गठित चिकित्सा समिति (मेडिकल बोर्ड) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और यह चिकित्सा समिति विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किसी अन्य प्रमाणित संस्था को यदि आवश्यक हुआ तो इस परीक्षण कार्य हेतु सन्दर्भित कर सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा समिति का निर्णय अंतिम होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा केवल वाराणसी केन्द्र पर होगी।

दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए 'लेखक' :

प्रत्येक दृष्टिहीन अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा 'लेखक' की व्यवस्था की जायेगी। 'लेखक' की शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी। ऐसे दृष्टिहीन अभ्यर्थियों अपनी प्रवेश परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र पर परीक्षा-नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को आवेदन करें। इसके लिये अभ्यर्थी को परीक्षा नियंता कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर के एक फोटो (जैसी प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र पर लगायी है), चिपका कर जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष रोग-विषयक जांच के लिए उपस्थित होना होगा और 'लेखकट देने से पूर्व विभागाध्यक्ष की सलाह/संस्तुति पर विचार किया जायेगा। ऐसे सभी दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश परीक्षा वाराणसी में केवल एक ही केन्द्र पर होगी।

टिप्पणी : जहां कहीं सीटों की संख्या कम होगी, वहां आरक्षित वर्ग की सीटों की गणना हेतु उन सीटों को एक वर्ग में संयुक्त कर गणना करने के लिए विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों की तरह मानने पर विचार करना :

किसी पाठ्यक्रम में, यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का योग्यताक्रम सामान्य वर्ग में अंतिम योग्यताक्रम पर प्रविष्ट अभ्यर्थी के योग्यता क्रम से अधिक या समान हो, तो आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी समझा जायेगा। पुनः यदि आरक्षित श्रेणी के किसी मेधावी अभ्यर्थी को सामान्य अर्हता मानदण्डों (न्यूनतम अर्हता शर्तों और/अथवा आयु) में छूट के द्वारा प्रवेश दिया जाता है अथवा उसे उच्चतर वरीयता के पाठ्यक्रम (आनर्स विषय, विषय समूह, स्पेशलाइजेसन का आवंटन, यदि कोई हो) में प्रवेश दिया जाता है जिसे वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं प्राप्त कर सकेगा तो उसका प्रवेश तत्सम्बन्धी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा तथा इसके फलस्वरूप सामान्य श्रेणी में सृजित सीट को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।

(iv) एम.पी.एड में कुल सीटों में से 15प्रतिशत सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आवंटित हैं। यदि ऐसी कोई सीट खाली रहती है तो इसे मेरिट के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

5. अतिरिक्त सीटें :

टिप्पणी - निम्नलिखित अतिरिक्त कोटा के अन्तर्गत किसी भी अतिरिक्त सीट पर प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित योग्यता शर्तों के समान ही योग्यता पूरी करते हों

i. **बीएचयू कर्मचारी वार्ड :** विश्वविद्यालय के वर्तमान सेवारत स्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन कर्मचारी भी सम्मिलित) के पुत्र/पुत्रियों (विवाहित पुत्री भी शामिल) अथवा जो परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से ठीक एक सत्र पिछले शैक्षणिक सत्र में सेवारत रहे हों, हेतु सभी पाठ्यक्रमों (विशेष पाठ्यक्रम भी सम्मिलित) में 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होंगे बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों और आवेदन पत्र में कर्मचारी वार्ड श्रेणी से संबंधित होने का दावा किए हों तथा पीईटी उत्तीर्ण किए हों। बीएचयू कर्मचारी वार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को यदि काउन्सिलिंग के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें उपकुलसचिव (प्रशासन) द्वारा जारी विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।इसी प्रकार, ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में स्थायी रुप से इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महिला महाविद्यालय में कार्यरत हैं या प्रवेश परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से एक सत्र पूर्व में सेवारत थे उनकी पुत्रियों के लिये (पुत्र-पुत्रियों के

लिये यदि डी.ए.वी. पी. जी. कालेज में हों) सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय में 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान आरक्षित होंगे, बशर्ते अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अर्हता पूर्ण करता/करती हो एवं प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में कर्मचारी वार्ड कोटा का प्रावधान है, मौजूदा कर्मचारी वार्ड हेतु उपलब्ध सीटों के अलावा प्रत्येक समूह हेतु एक अतिरिक्त सीट सृजित करके निम्नलिखित दो समूहों- सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी के अंतर्गत कर्मचारी वार्ड का लाभ प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में उक्त दोनों समूहों के प्रतिपाल्यों की मेरिट, कर्मचारी वार्ड कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त अंतिम अभ्यर्थी से नीचे न हो :

अ. इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी तथा

ब. काहिविवि के मृत कर्मचारी और पुनर्नियुक्त/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिपाल्यों हेतु, बशर्ते वे मृत कर्मचारी/ सेवानिवृत्त कर्मचारी आगामी शैक्षणिक सत्र तक 65 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों।

(नोट: 15 प्रतिशत की गणना में यदि कोई अपूर्ण संख्या आती है तो उसे अगले पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर दिया जायेगा)

ii. **पेड सीट :** कतिपय पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त 'पेड सीट' **(कुल सीटों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं)** का प्रावधान है जिसकी विस्तृत जानकारी प्रवेश के समय संबद्ध संकाय/विभाग में उपलब्ध होगी। तथापि, विशेष पाठ्यक्रमों हेतु ऐसे प्रावधान नहीं हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सम्बन्धित संकाय/विभाग से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की अतिरिक्त पेड सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु लगातार सम्पर्क बनाये रखें क्योंकि कुछ पाठ्यक्रमों में पेड सीट के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पीईटी इंडेक्स के आधार पर सभी अभ्यर्थियों अलग से काल लेटर प्रेषित करने के बजाय सूचनाएं सूचना पट्ट पर चिपका दी जाती हैं।

iii. **स्पोर्ट्स सीट :** विभिन्न संकायों/संस्थानों में स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत अतिरिक्त सीटें नीचे दिये गये विवरणानुसार उपलब्ध होंगी :

क्रम.सं.	**संस्थान/संकाय/महाविद्यालय**	**स्पोर्ट्स सीट (अतिरिक्त सीट)***
1.	कला*, विज्ञान*, सामाजिक विज्ञान*	06 प्रत्येक में*
2.	वाणिज्य	2
3.	कृषि, शिक्षा, संगीत एवं मंच कला, दृश्य कला, सं.वि. धर्म विज्ञान, विधि	1 प्रत्येक में
टिप्पणी : संकाय के विभाग द्वारा संचालित एकल पाठ्यक्रम हेतु संकाय के लिए निर्धारित अतिरिक्त स्पोर्ट्स सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं होगी।		

टिप्पणी : विशेष पाठ्यक्रमों हेतु ऐसे प्रावधान नहीं हैं।

1. केवल विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद् के अनुमोदन के आधार पर ही अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स सीट में प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा ।

2. स्पोर्ट्स सीट पर प्रवेश के लिए कोई भी अभ्यर्थी अर्ह होगा यदि : (क) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण हो; (ख) सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो; (ग) एआईयू के सहभागिता नियमों को पूरा करता हो; (घ) अर्हता परीक्षा तक कम से कम राष्ट्रीय (सीनियर/जूनियर/सब जूनियर/यूथ/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) स्तर की भागीदारी किया हो या जोनल/इन्टर जोनल/डायरेक्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टुर्नामेंट/एआईयू चैम्पियनशीप गेम्स में चौथे स्थान तक की भागीदारी किया हो।

3. इस प्रकार, स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत प्रवेश के लिए योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी को संबंधित खेल/खेलकूद कार्यक्रम में प्रेक्टिकल टेस्ट जैसे- 40 अंक का संशोधित एएपीएचइआर युवा उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा तथा 60 अंक का खेलने

की अर्हता परीक्षा में अर्ह होना होगा। तथापि, तीरंदाजी, शतरंज तथा निशानेबाजी से संबंधित अभ्यर्थियों को 40 अंक के संशोधित एएपीएचइआर युवा उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा से छूट होगी। **अभ्यर्थी को संशोधित एएपीएचइआर युवा उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा (तीरंदाजी, शतरंज तथा निशानेबाजी हेतु लागू नहीं) तथा खेलने की अर्हता परीक्षा (तीरंदाजी, शतरंज तथा निशानेबाजी के अभ्यर्थियों को इस में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है) यह प्रेक्टिकल टेस्ट परीक्षा नियंता के परामर्श से विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।**

4. स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत प्रवेश के लिए योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम का निर्धारण स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र के उपलब्धियों पर आधारित अंको के आधार पर किया जायेगा। स्पोर्ट्स उपलब्धि अंकों की गणना करते समय केवल अभ्यर्थी के उच्चतम स्पोर्ट्स उपलब्धि अंक/प्रदर्शन पर ही विचार किया जायेगा।

विभिन्न श्रेणियों में खेलकूद (स्पोर्ट्स) उपलब्धि अंक निम्नानुसार है :								
अ- राष्ट्रीय (सीनियर/जूनियर/यूथ/स्कूल)			**ब-एआईयू द्वारा आयोजित आल इण्डिया/इन्टर जोनल इन्टर यूनिवर्सिटी**			**स-एआईयू द्वारा आयोजित जोनल इन्टर यूनिवर्सिटी**		
स्थान	**टीम**	**व्यक्तिगत**	**स्थान**	**टीम**	**व्यक्तिगत**	**स्थान**	**टीम**	**व्यक्तिगत**
प्रथम स्थान	30	35	प्रथम स्थान	30	35	प्रथम स्थान	15	20
द्वितीय स्थान	25	30	द्वितीय स्थान	25	30	द्वितीय स्थान	10	15
तृतीय स्थान	20	25	तृतीय स्थान	20	25	तृतीय स्थान	08	10
			चतुर्थ स्थान	15	15	चतुर्थ स्थान	05	08
			विज्जी ट्राफी	10	-			

संकाय में अभ्यर्थियों के खेलकूद (स्पोर्ट्स) उपलब्धि अंक समान होने की दशा में पारस्परिक योग्यता क्रम का निर्धारण पीईटी इंडेक्स के अनुसार होगा और यदि पीईटी इंडेक्स भी समान हो तो इसका निर्धारण अर्हता परीक्षा के सम्पूर्ण अंक के प्रतिशत द्वारा होगा। यदि ये भी समान हों तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

टिप्पणी :

अ. जिन अभ्यर्थियों ने दुनिया के विश्वविद्यालयी खेलों में भारत या भारतीय (सम्मिलित) विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया है तो उन्हें सीधे प्रवेश दिया जायेगा बशर्ते कि वे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पूर्व आवेदन किये हों।

ब-एआईयू से अनुमोदित न होने या विश्वविद्यालय के पास समुचित संसाधन की अनुपलब्धता के कारण निम्नलिखित गेम्स/ खेलकूद प्रमाण पत्र विचार नही किये जायेंगे:

[बाल बैडमिन्टन (एम/डब्लू), बेस बाल (एम/डब्लू), केनोइंग तथा कयाकिंग (एम/डब्लू), साइकिलिंग (एम/डब्लू), फेंसिंग (एम/डब्लू), कोर्टबाल (एम/डब्लू), रोइंग (एम/डब्लू), साफ्टबाल (एम/डब्लू), याचिंग (एम/डब्लू), टेनिकॉट (एम/डब्लू), कराटे (एम/डब्लू), कैरम (एम/डब्लू), सर्किल कबड्डी (एम/डब्लू), गटका (एम/डब्लू)]

(iv) **विदेशी नागरिक :** विदेशी नागरिकों हेतु 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हैं जिनमें 5 प्रतिशत सीटें अप्रवासी भारतीय नागरिकों (एनआरआई) [भारतीय मूल के नागरिक (पी.आइ.ओ.)] के बच्चों द्वारा और 5 प्रतिशत खाड़ी तथा दक्षिण एशियाई देशों में कार्यरत भारतीयों के बच्चों द्वारा भरी जायेंगी। इसकी विस्तृत जानकारी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के कार्यालय-सी/3/3, टैगोर हाउस, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005 से प्राप्त की जा सकती है (कृपया हमारी बीएचयू की वेवसाइट: www.bhu.ac.in देखें)।

6. **संस्थागत वरीयता**

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संस्थागत वरीयता (एमसीए पाठ्यक्रम को छोड़कर) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार खुले वर्ग में अधिकतम 25 प्रतिशत सीटों तक उपलब्ध रहेगा। परन्तु, विशेष पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रकार का कोई भी प्राविधान उपलब्ध नहीं है। ''काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र'' वह है जिसने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रवेश पाया हो और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से परीक्षा के वर्ष अथवा परीक्षा के तत्काल एक वर्ष पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। 'का.हि.वि.वि. छात्रों' के लिए 'वरीयता स्थान' के अन्तर्गत किसी भी रिक्त स्थान को पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार खुले सम्बन्धित श्रेणी के अनुगामी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध किया जायेगा।

7. पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कूट संख्या एवं सीटों की संख्या

1. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पर पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम कूट संख्या लिखना आवश्यक होगा।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। तथापि, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए सम्मिलित कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनका विवरण उपखण्ड 15 पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है, संबंधित कॉमन प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आने वाले उन पाठ्यक्रमों के लिए एक ही पाठ्यक्रम कूट आवंटित किया गया है।
3. आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम का नाम भरते समय अभ्यर्थी संबंधित सामान्य प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आने वाले किसी भी एक पाठ्यक्रम का नाम भर सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है-

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**		**पाठ्यक्रम कूट संख्या**
			न्यूनतम	**अधिकतम**	
1. विज्ञान संस्थान					
1.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
(i)	एम.एससी. (भौतिकी)	भौतिकी विभाग	-	77	481
(ii)	एम.एससी. (रसायन विज्ञान)	रसायन विज्ञान विभाग	-	77	482
(iii)	एम.एससी. (भौमिकी)	भौमिकी विभाग	-	43	483
(iv)	एम.एससी. (जंतु विज्ञान)	जंतु विज्ञान विभाग	-	51	484
(v)	एम.एससी. (वनस्पति विज्ञान)	वनस्पति विज्ञान विभाग	-	51	485
(vi)	एम.एससी. (संगणक विज्ञान)	संगणक विज्ञान विभाग	-	26	486
(vii)	एम.एससी. (जैवरसायन)	जैवरसायन विभाग	-	22	487
(viii)	एम.एससी. (भूभौतिकी)	भूभौतिकी विभाग	-	34	491
(ix)	एम.एससी. (आणविक एवं मानव आनुवंशिकी)	आणविक एवं मानव आनुवंशिकी विभाग	-	20	490

1.2 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
(i)	एमसीए (संगणक अनुप्रयोग में परास्नातक)	संगणक विज्ञान विभाग	-	46	492
		राजीवगांधी दक्षिणी परिसर*	-	20	

टिप्पणी* : एमसीए पाठ्यक्रम राजीवगांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के तहत संचालित है जिसकी शुल्क संरचना रू. 60,000 प्रति सेमेस्टर+विश्वविद्यालय द्वारा एमसीए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित नियमित शुल्क है। सीटों की अधिकतम सं. 20 है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्थान के चयन/वरीयता का विकल्प देना होगा तथा प्रवेश मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किया जायेगा।

1.3 विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम					
(i)	एम.एससी.- पर्यावरण विज्ञान	वनस्पति विज्ञान विभाग	10	31	489
(ii)	एम.एससी.- प्रयुक्त सूक्ष्म जैविकी	वनस्पति विज्ञान विभाग	10	31	488
(iii)	एम.एससी.- पेट्रोलियम भूविज्ञान	भौमिकी विभाग	05	10	483
(iv)	एम.एससी.- सांख्यिकी एवं संगणन	डीएसटी-अंतर्विषयी गणितीय विज्ञान केन्द्र	10	40	501
(v)	एम.एससी.- संगणकीय विज्ञान एवं संकेत प्रसंस्करण में अनुप्रयोग	डीएसटी-अंतर्विषयी गणितीय विज्ञान केन्द्र	05	20	471
(vi)	एम.एससी.- फोरेंसिक विज्ञान	रसायन विज्ञान विभाग	10	30	472

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**		**पाठ्यक्रम कूट संख्या**
			न्यूनतम	**अधिकतम**	
2. कला संकाय					
2.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
i.	एम.ए.- अरबी	अरबी विभाग	-	17	431
ii.	**एम.ए.- चीनी***	विदेशी भाषा विभाग	-	17	432
iii.	एम.ए.- अंग्रेजी	अंग्रेजी विभाग	-	77	433
		वीसीडब्लू-राजघाट	-	30	
		वीकेएम-कमच्छा	-	30	
		डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
iv.	एम.ए.- फ्रांसीसी	फ्रांसीसी अध्ययन विभाग	-	17	434
v.	एम.ए.- जर्मन	जर्मन अध्ययन विभाग	-	17	435
vi.	एम.ए.- नेपाली	भारतीय भाषा विभाग	-	43	436
vii.	एम.ए.- फारसी	फारसी विभाग	-	17	437
viii.	**एम.ए.- रूसी***	विदेशी भाषा विभाग	-	17	438
ix.	एम.ए.- बंगाली	बंगाली विभाग	-	77	439
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
x.	एम.ए.- हिंदी	हिंदी विभाग	-	154	440
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
		वीसीडब्लू-राजघाट	-	30	
		वीकेएम-कमच्छा	-	30	
xi.	**एम.ए.- कन्नड़***	भारतीय भाषा विभाग	-	34	441
xii.	एम.ए.- मराठी	मराठी विभाग	-	34	442
xiii.	एम.ए.- तेलगू	तेलगू विभाग	-	34	443
xiv.	एम.ए.- उर्दू	उर्दू विभाग	-	51	444

xv.	एम.ए.- पाली	पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग	-	36	445
xvi.	एम.ए.- संस्कृत	संस्कृत विभाग	-	77	446
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	34	
xvii.	एम.ए.- भाषा विज्ञान	भाषा विज्ञान विभाग	-	43	447
xviii.	एम.ए.- प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरातत्व	प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	-	77	448
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
xix.	एम.ए.- कला का इतिहास	कला का इतिहास विभाग	-	43	449
xx.	एम.ए.- आईपीआर	आईपीआर विभाग	-	77	450
xxi.	एम.ए.- दर्शनशास्त्र	दर्शनशास्त्र विभाग	-	77	451
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
***सत्र के दौरान प्रवेश नहीं किया जाएगा**					
2.2 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एम.ए.- जन संप्रेषण	पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग	-	38	452
ii.	एम.ए.- संग्रहालय विज्ञान	प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	-	09	453
iii.	एम.ए.- प्रयोजनमूलक हिंदी (पत्रकारिता)	हिंदी विभाग	-	23	454
iv.	एम.लिब. - आई.एससी. (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	-	38	456
v.	एम.ए.- पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पुरालेखशास्त्र (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान नोडल विभाग के रूप में)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	-	15	458
vi.	एम.पी.एड.# (शारीरिक शिक्षा में परास्नातक)	शारीरिक शिक्षा विभाग	-	40	457
# एम.पी.एड में कुल सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। यदि ऐसी कोई सीट खाली रहती है तो इसे मेरिट के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।					
2.2 विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम					
i.	पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन निष्णात	कला का इतिहास विभाग	10	30	455
		आरजीएससी	15	40	
ii.	कार्पोरेट संचार प्रबंधन	आरजीएससी	10	20	459
2.4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम					
iii.	खुदरा प्रबंधन व्यावसाय निष्णात	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू	-	50	704
iv.	लॉजिस्टिक प्रबंधन व्यावसाय निष्णात	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू	-	50	
v.	आतिस्थ्य एवं पर्यटन प्रबंधन व्यावसाय निष्णात	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू	-	50	

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
3. सामाजिक विज्ञान संकाय					
3.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
i.	एम.ए.- अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र विभाग	-	77	466
		वीसीडब्लू-राजघाट	-	30	
		वीकेएम-कमच्छा	-	30	
		डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
ii.	एम.ए.- इतिहास	इतिहास विभाग	-	77	460
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
		वीसीडब्लू-राजघाट	-	30	
		डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	
iii.	एम.ए.- राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान विभाग	-	77	461
		डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
iv.	एम.ए.- समाजशास्त्र	समाजशास्त्र विभाग	-	77	462
		डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	
		वीसीडब्लू-राजघाट	-	30	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
3.2 विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम					
i.	एम.ए.- समाजकार्य	समाजशास्त्र विभाग	15	46	463
ii.	एम.ए.- कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध निष्णात (एमपीएआईआर)	मनोविज्ञान विभाग	15	46	465
iii.	एम.ए.- लोक प्रशासन	राजनीति विज्ञान विभाग	10	38	464
iv.	एम.ए.- संघर्ष (कानफ्लिक्ट) प्रबंधन एवं विकास (एमसीएमडी)	मालवीय शांति शोध केन्द्र	10	46	467
v.	एम.ए.- समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन	समेकित ग्रामीण विकास केन्द्र	10	50*	703
***5 (पांच) सीटें प्रायोजित अभ्यर्थियों तथा 5 (पांच) सीटें विदेशी अभ्यर्थियों हेतु**					

कॉमन पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम : एम.ए./एम.एससी.)					
i.	एम.ए./एम.एससी.- गृह विज्ञान	गृह विज्ञान विभाग	-	52	494
		वीकेएम-कमच्छा	-	20	

ii.	एम.ए./एम.एससी.- गणित	गणित विभाग	-	115	495
iii.	एम.ए./एम.एससी.- सांख्यिकी	सांख्यिकी विभाग	-	51	496
iv.	एम.ए./एम.एससी.- मनोविज्ञान	मनोविज्ञान विभाग	-	51	497
v.	एम.ए.- मनोविज्ञान	आर्य महिला पीजी कॉलेज	-	30	
		वीसीडब्लू-राजघाट	-	30	
		वीकेएम-कमच्छा	-	30	
		डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	
vi.	एम.ए./एम.एससी.- भूगोल	भूगोल विभाग	-	66	498
	एम.ए.- भूगोल	डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	

नोट :

1. भूगोल, गृह विज्ञान, गणित, सांख्यिकी विषय कला संकाय + विज्ञान संकाय में उपलब्ध हैं; मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान संकाय + विज्ञान संकाय में उपलब्ध है। फिर भी, प्रवेश संबंधित विभाग में (अध्यापन किया जाता है) दिया जाता है।
2. एम.ए./एम.एससी.- गणित, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषयों हेतु एक कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा एकल मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**		**पाठ्यक्रम कूट संख्या**
			न्यूनतम	**अधिकतम**	
4. संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय					
4.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
i.	आचार्य-शुक्ल यजुर्वेद	वेद विभाग	-	25	281
	आचार्य- कृष्ण यजुर्वेद		-		282
	आचार्य- शामवेद		-		283
	आचार्य- ऋग्वेद		-		284
ii.	आचार्य- व्याकरण	व्याकरण विभाग	-	25	285
iii.	आचार्य- साहित्य	साहित्य विभाग	-	25	286
iv.	आचार्य- ज्योतिष (गणित)	ज्योतिष विभाग	-	25	287
	आचार्य- ज्योतिष (फलित)				288
v.	आचार्य- धर्मागम	धर्मागम विभाग	-	14	289
vi.	आचार्य- धर्मशास्त्र	धर्मशास्त्र व मीमांसा विभाग	-	14	290
	आचार्य- मीमांसा				297
vii.	आचार्य- जैन दर्शन	जैन एवं बौद्ध दर्शन विभाग	-	17	291
	आचार्य- बुद्ध दर्शन				298
viii.	आचार्य- वेदांता	वेदांत विभाग	-	31	292
	आचार्य- पुराणेतिहास				293
	आचार्य- सांख्ययोग				294
	आचार्य- प्राचीन न्याय				295
	आचार्य- न्याय वैशेषिक				296

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**	**पाठ्यक्रम**

			न्यूनतम	अधिकतम	कूट संख्या
5. वाणिज्य संकाय					
5.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
i.	वाणिज्य में परास्नातक	वाणिज्य संकाय	-	154	470
		डीएवी पीजी कॉलेज	-	30	
ii.	एमबीए (जोखिम एवं बीमा)	वाणिज्य विभाग	15	30	385
	एमबीए (विदेशी व्यापार)		15	30	
	एमबीए (वित्तीय प्रबंधन)		15	46	
6. पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान					
6.1 विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम					
i.	एम.एससी.- पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण प्रौद्योगिकी)	पर्यावरण एवं धारणीय विकास विभाग	10	30	480

7. चिकित्सा विज्ञान संस्थान					
7.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एम.एससी.- स्वास्थ्य सांख्यिकी	सामुदायिक चिकित्सा विभाग	-	15	275

8. शिक्षा संकाय					
8.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एम.एड.- शिक्षा	शिक्षा संकाय	-	50	390
ii.	एम.एड. (विशेष शिक्षा)- दृ.बा.	शिक्षा संकाय	-	10	391
iii.	एम.एड. (विशेष शिक्षा)- श्र.बा.	शिक्षा संकाय	-	10	393

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**		**पाठ्यक्रम कूट संख्या**
			न्यूनतम	**अधिकतम**	
9. दृश्य कला संकाय					
9.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एम.एफ.ए.- चित्रकला	चित्रकला विभाग	-	22	360
ii.	एम.एफ.ए.- अनुप्रयुक्त कला	अनुप्रयुक्त कला विभाग	-	26	361
iii.	एम.एफ.ए.- प्लास्टिक कला	प्लास्टिक कला विभाग	-	12	362
iv.	एम.एफ.ए.- मृदभाण्ड एवं सेरेमिक	मृदभाण्ड एवं सेरेमिक विभाग	-	06	363
v.	एम.एफ.ए.-वस्त्र डिजाइन	वस्त्र डिजाइन विभाग	-	06	364

10. प्रबंध शास्त्र संस्थान

10.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एम.बी.ए.- कृषि व्यवसाय	प्रबंध शास्त्र विभाग	10	46	381

11. विधि संकाय					
11.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एलएल.एम. (द्विवर्षीय)	विधि विभाग	-	38	475
11.2 विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम					
i.	एलएल.एम.- मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा	विधि विभाग	05	15	475
ii.	एलएल.एम. (एकवर्षीय)	विधि विभाग	10	20	475

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**		**पाठ्यक्रम कूट संख्या**
			न्यूनतम	**अधिकतम**	
12. संगीत एवं मंच कला संकाय					
12.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एमपीए- कंठ संगीत	कंठ संगीत विभाग	-	17	366
ii.	एमपीए- वाद्य संगीत (सितार)	वाद्य संगीत विभाग	-	09	367
	एमपीए- वाद्य संगीत (वायलिन)		-	08	368
	एमपीए- वाद्य संगीत (बांसुरी)		-	08	369
	एमपीए- वाद्य संगीत (तबला)		-	09	370
iii.	एमपीए- नृत्य (कथक)	नृत्य विभाग	-	10	371
	एमपीए- नृत्य (भरत नाट्यम)		-	10	372
iv.	एमपीए- संगीतशास्त्र	संगीतशास्त्र विभाग	-	15	373

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**		**पाठ्यक्रम कूट संख्या**
			न्यूनतम	**अधिकतम**	
13. कृषि विज्ञान संस्थान					
13.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एम.एससी. (कृषि)- कृषि अर्थशास्त्र	कृषि अर्थशास्त्र विभाग	-	123	340
	एम.एससी. (कृषि)- सस्य विज्ञान	सस्य विज्ञान विभाग			
	एम.एससी. (कृषि)- पशुपालन एवं डेयरी	पशुपालन एवं डेयरी विभाग			
	एम.एससी. (कृषि)- कीट विज्ञान एवं कृषि जंतु	कीट विज्ञान एवं कृषि जंतु विज्ञान विभाग			

	विज्ञान				
	एम.एससी. (कृषि)- विस्तार शिक्षा	विस्तार शिक्षा विभाग			
	एम.एससी. (कृषि)- आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन	आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग			
	एम.एससी. (कृषि)- औद्यानिकी	उद्यान विभाग			
	एम.एससी. (कृषि)- कवक विज्ञान पादप पैथोलॉजी	कवक विज्ञान पादप पैथोलॉजी विभाग			
	एम.एससी. (कृषि)- पादप शरीर क्रिया विज्ञान	पादप शरीर क्रिया विज्ञान विभाग			
	एम.एससी. (कृषि)- मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान विभाग			
13.2 विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम					
i.	एम.एससी. (कृषि)- कृषि वानिकी	राजीव गांधी दक्षिणी परिसर	10	23	473
ii.	एम.एससी. (कृषि)- मृदा एवं जल संरक्षण	राजीव गांधी दक्षिणी परिसर	10	15	702
iii.	एम.एससी. (कृषि)- पादप जैव प्रौद्योगिकी	राजीव गांधी दक्षिणी परिसर	20	30	356
iv.	कृषि व्यवसाय प्रबंधन निष्णात	कृषि अर्थशास्त्र विभाग	10	25	352
v.	एम.एससी.- खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	15	30	354
vi.	एम.टेक.- कृषि अभियांत्रिकी (मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी)	फार्म अभियांत्रिकी विभाग	05	08	355

	पाठ्यक्रम का नाम	**पाठ्यक्रम संचालन का स्थान**	**सीटें**		**पाठ्यक्रम कूट संख्या**
			न्यूनतम	**अधिकतम**	
14. महिला महाविद्यालय					
14.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	एम.एससी.(जैव सूचना विज्ञान)	महिला महाविद्यालय	-	23	493
ii.	एम.ए.- शिक्षा	महिला महाविद्यालय	-	30	701

खण्ड-ब

8. आवेदन पत्र

विश्वविद्यालय ने www.bhuonline.in डोमेन नाम से अपना प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी.एच.यू. की वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन

करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाइन बनायी गयी है। तद्नुसार, अभ्यर्थी ध्यान दें कि पीईटी 2016 सूचना पुस्तिका एवं आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा (क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) या (www.bhu.ac.in) देखें।

9. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा:

पाठ्यक्रम	**प्रवेश परीक्षा शुल्क**	
	अनुजा/जनजा	अन्य
(इस सूचना पुस्तिका में उल्लिखित) सभी	**250.00 रुपये**	**500.00 रुपये**

तथापि, अभ्यर्थी यदि पीईटी 2016 के अन्तर्गत 1 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करता है तो उसे बाद के प्रत्येक आवेदन पत्र (प्रथम आवेदन पत्र के बाद) हेतु आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क कमतर दरों पर निम्नानुसार देय होंगी :

पाठ्यक्रम	**प्रवेश परीक्षा शुल्क**	
	अनुजा/जनजा	अन्य
(इस सूचना पुस्तिका में उल्लिखित) सभी पाठ्यक्रम	**100.00 रुपये**	**200.00 रुपये**

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान का तरीका

अभ्यर्थी को पीईटी 2016 का आवेदन पत्र आनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किये जायेंगे। आनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प अपनाना है :

(अ) **प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा आनलाइन भुगतान।**

(ब) **एचडीएफसी बैंक की किसी भी शाखा में "चालान" के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान (केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय सुविधा उपलब्ध) :** आवेदन पत्र भरने और इसे जमा करने के पश्चात भुगतान हेतु इस विकल्प का चयन करने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से चालान फार्म प्रिंट कर सकते है। प्रिंट आउट लिए गये चालान में अभ्यर्थी, काहिविवि के बैंक खाता जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा और जमा की जाने वाली शुल्क राशि इत्यादि सभी आवश्यक विवरण होगें। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में **(केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय)** अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में अन्य प्रक्रिया खंड 12 में दी गई है।

टिप्पणी :

(i) अनुजा/जनजा के अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अनुजा/जनजा श्रेणी के अन्तर्गत विचार किए जाएंगे।

(ii) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस की जाएगी और न दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित की जाएगी और न ही आगामी वर्षों के लिए आरक्षित की जाएगी।

10. **महत्वपूर्ण तिथियां**

प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पीईटी -2016 ऑनलाइन फार्म की उपलब्धता	:	29.01.2016
आवेदन पत्र ऑनलाइन की जमा करने की अंतिम तिथि	:	29.02.2016

11. प्रवेश परीक्षा केन्द्र

परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा, बशर्ते कि सम्बन्धित केन्द्र पर अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या हो :

वाराणसी	**मीरजापुर***	**गोरखपुर**	**लखनऊ**	**कोलकाता**	**दिल्ली**	**हैदराबाद**	**चेन्नई**
भोपाल	**बड़ोदरा**	**गुवाहाटी**	**दीमापुर**	**कोच्ची**	**जयपुर**	**इलाहाबाद**	**भुवनेश्वर**
***राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर**							

टिप्पणी :

1. एमपीए, एमएफए और एम.पी.एड के अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ :

(i) एमपीए, एमएफए और एम.पी.एड के लिए परीक्षा का लिखित भाग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा। तथापि, एम.पी.एड के लिए शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा [खण्ड 15 (v) देखें], एमपीए के लिए एक व्यावहारिक परीक्षा [खण्ड 15 (xxix) देखें], एमपीए- संगीतशास्त्र [खण्ड 15 (xxx) देखें] तथा एमएफए [खण्ड 15 (xxviii) देखें] के लिए केवल वाराणसी परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की जायेंगी।

(ii) प्रत्येक श्रेणी में लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर **केवल वाराणसी केन्द्र पर शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा/व्यावहारिक परीक्षा** में भाग लेने हेतु एमपीए पाठ्यक्रम के लिए **सीटों के चार गुना**; **एमएफए** पाठ्यक्रम के लिए **सीटों के चार गुना** तथा एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के लिए **सीटों के आठ गुना** अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।

2. सभी अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ

i. **विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह वाराणसी परीक्षा केन्द्र को छोड़कर किसी भी अन्य केन्द्र को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है**। अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम से पाँच केन्द्रों का चयन करना चाहिए।

ii. प्रवेश पत्र में आबंटित परीक्षा केन्द्र का उल्लेख होगा। **अभ्यर्थियों को ध्यान रहे कि एक बार आबंटित परीक्षा केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जायेगा।**

iii. परीक्षा केन्द्र आबंटन का अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय के पास होगा।

iv. **अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या एवं किसी अन्य कारण से कोई भी बाह्य परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्र आबंटित किया जायेगा।**

v. दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को केवल वाराणसी केन्द्र आबंटित किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : अभ्यर्थी ध्यान रखें कि प्रवेश परीक्षा केंद्र के निरस्तीकरण/प्रवेश परीक्षा के आयोजन की तिथि/पाठ्यक्रम का संचालन वापस लेने/प्रवेश परीक्षा आयोजन संबंधी अधिसूचना/औपबन्धिक उत्तर कुंजी का प्रदर्शन इत्यादि समेत इस सूचना पुस्तिका की सामग्री में कोई भी बदलाव केवल बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी के लिए वे कृपया उक्त बेवसाइट का नियमित तौर पर अवलोकन करें।

12. आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश :

पीईटी 2016 हेतु आवेदन पत्र बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र आनलाईन भरा व जमा किया जाना है। आवेदन पत्र भरने, आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा

करने सम्बन्धी विस्तृत अनुदेश बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर भी दिये गये हैं। अभ्यर्थी को अपना फोटो तथा हस्ताक्षर पोर्टल पर दिये गये अनुदेशों के अनुरूप स्कैन करके अपलोड करना होगा।

आनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश शुल्क के भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलबध होंगे :

(अ) प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा आनलाइन भुगतान

(ब) **एचडीएफसी बैंक की भी किसी शाखा में "चालान" के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान (केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय सुविधा उपलब्ध) :** आवेदन पत्र भरने और इसे जमा करने के पश्चात भुगतान हेतु इस विकल्प का चयन करने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से चालान फार्म प्रिंट कर सकते है। प्रिंट आउट लिए गये चालान में अभ्यर्थी, काहिविवि के बैंक खाता जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा और जमा की जाने वाली शुल्क राशि इत्यादि सभी आवश्यक विवरण होगें। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में **(केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय)** अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा और और बैंक चालान की एक प्रति अपने पास रखेगा तथा इसकी दूसरी प्रति जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान सम्बन्धी आवश्यक विवरण उल्लिखित होंगे, अभ्यर्थी को वापस दे देगा। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इस चालान की प्रति को रिकार्ड के लिए अपने पास रखे। प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का पिंट आउट ले सकेगा।

नोट : **उपरोक्त दिए गए तरीकों में से किसी एक के द्वारा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद ही पीईटी आवेदन पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा।** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र आनलाइन प्रस्तुत करने तथा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/परीक्षा शुल्क का सफलता पूर्वक भुगतान करने के पश्चात आनलाईन भरे गये फार्म (जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विवरण तथा आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी लेनदेन का ब्यौरा शामिल है) का प्रिंट आउट प्रवेश परीक्षा पोर्टल से लेकर अपने रिकार्ड के लिए रखें।

13. आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने के कारण

i. **आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क** का भुगतान किए बगैर आवेदन पत्र जमा करना।
ii. किसी अन्य कमी के पता चलने पर।

टिप्पणी: यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नही है, तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा/मानी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, संवर्ग आदि अभिलेखों की विस्तृत जांच प्रवेश/काउंसिलिंग के समय (यदि अभ्यर्थी को इसके लिए बुलाया जाता है) की जायेगी। यदि अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करता/करती है तो भी उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. प्रवेश पत्र

1. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि से लगभग एक सप्ताह पहले आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उन्हें आवंटित की गई यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी के उपयोग द्वारा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने सम्बन्धी ई-मेल/एसएमएस अलर्ट अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर किए गए ई-मेल आईडी/मोबाईल नं. पर भी भेजे जायेंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पत्राचार हेतु सही ई-मेल/मोबाइल नं. दें।
3. यदि कोई अभ्यर्थी **प्रवेश परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले** तक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो उसे परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से हेल्प डेस्क फोन नं-8574587668 **तथा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलबध हेल्प डेस्क ई-मेल आईडी पर सम्पर्क करना चाहिए।**
4. अभ्यर्थी को प्राप्त प्रवेश पत्र की सभी प्रविष्टियों का सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी को तत्काल परीक्षा नियंता कार्यालय को सूचित करना चाहिए। यदि विसंगति के बारे में समय पर सूचित नहीं किया जाता है तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रिंट आउट लिए गए प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटो (वही फोटोग्राफ की जो आनलाईन भरते समय उपयोग किया गया है) चस्पा करें और इसे स्वयं प्रमाणित करें।

महत्वपूर्ण :

i. बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

ii. अभ्यर्थी ध्यान दें कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे, इसे अभ्यर्थी के ई-मेल एकाउण्ट या आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उन्हें आवंटित की गई यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी के उपयोग द्वारा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

iii. प्रवेश परीक्षाएं 10 अप्रैल से 10 जून, 2016 की अवधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। प्रवेश परीक्षा का विवरण सूचना पुस्तिका (खण्ड-21) के अंत में दिया गया है तथा प्रवेश परीक्षा के स्थान का विवरण प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा।

iv. परीक्षार्थियों को चाहिए कि परीक्षा के बाद वे अपना प्रवेश पत्र प्रवेश होने तक सुरक्षित रखें, यदि वे काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं तो प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

v. स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा तथा संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

खंड स

15. प्रवेश परीक्षा की अवधि एवं प्रश्न-पत्र की संरचना

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग परीक्षाएँ होंगी। यद्यपि, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए कॉमन परीक्षा भी होगी (जैसा कि नीचे दिया गया है)।

कॉमन प्रवेश परीक्षा	आच्छादित पाठ्यक्रम (कोर्सेज कवर्ड)
I	एम.एससी-(भूगर्भ विज्ञान) (सामान्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) एवं एम. एससी- पेट्रालियम भूविज्ञान (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)
II	एमबीए - वित्तीय प्रबंधन (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)/ एमबीए - विदेशी व्यापार (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) / एमबीए - वित्तीय प्रबंधन (जोखिम एवं बीमा) (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)
III	एलएल.एम. (सामान्य), एलएल.एम. (मानव अधिकार व कर्तव्य शिक्षा) एवं एक वर्षीय एलएल.एम. (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)
IV	व्यवसाय निष्णात- खुदरा प्रबंधन/ व्यवसाय निष्णात- लॉजिस्टिक प्रबंधन/ व्यवसाय निष्णात- आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन

2. कॉमन प्रवेश परीक्षा वाले पाठयक्रमों में प्रवेश अभ्यर्थी की मेरिट (कॉमन प्रवेश परीक्षा में) एवं काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम हेतु दिए गए विकल्प/वरीयता तथा पाठ्यक्रम हेतु उसकी अर्हता के आधार पर किया जाएगा।

3. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करता है जिनके लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं होनी हैं तो उसे इस तरह के प्रत्येक पाठयक्रम के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा, बशर्ते ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाएं अलग-अलग तिथियों पर सम्पन्न होंगी। (प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम देखें)

4. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सम्मिलित/कामन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है उनमें शामिल होने मात्र से ही अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं हो जायेगा, प्रवेश हेतु उसे पाठ्यक्रम के अर्हता मानदंडों को पूरा करना होगा।

विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रश्नपत्र की संरचना नीचे दी गई है :

(i) **आचार्य**

इसमें सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(ii) **एम.ए.-जन संप्रेषण**

इसमें सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान मामले; अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता सहित भाषाई प्रवीणता और तार्किक परिमाणात्मक एवं विश्लेषण क्षमताएँ; और अभिक्षमता (रूझान) (प्रतिशत, तालिकाएँ, ग्राफ्स, इत्यादि से अनुमानित) पर 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। यद्यपि पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के अंकों, समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुति एवं साक्षात्कार (समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के लिए सम्मिलित भारांक लिखित परीक्षा में कुल अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात 10 अंक जिसमें प्रत्येक के लिए 30 भारांक होंगे) में प्राप्त अंकों को मिलाकर समग्र मेरिट के आधार पर होगा। साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, योग्यता क्रम में बुलाने के लिए प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(iii) **एम.लिब.आई.एससी. (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान निष्णात)**

इसमें 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक, परिमाणात्मक और मौखिक प्रवीणता एवं अभिक्षमता पर आधारित होंगे। प्रश्न दैनिक जीवन की गतिविधियों से लेकर शैक्षणिक अभिरूचि, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी, इत्यादि के व्यापक श्रेणी तक के विभिन्न क्षेत्रों के विविध अनुभवों से जुड़े होंगे। इनका मानक स्नातक उपाधि (कम से कम 10+2 +3 पद्धति के अन्तर्गत) के समान होगा।

(iv) **एम.ए.- पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पुरालेखशास्त्र**

इसमें 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक, परिमाणात्मक और मौखिक प्रवीणता एवं अभिक्षमता पर आधारित होंगे। प्रश्न दैनिक जीवन की गतिविधियों से लेकर शैक्षणिक अभिरूचि, जैसे विज्ञान, लैंग्वेजेज, इतिहास/प्रा.भा.इ.स., दर्शन, कला इतिहास, लिंगविस्टिक इत्यादि के व्यापक श्रेणी तक के विभिन्न क्षेत्रों के विविध अनुभवों से जुड़े होंगे। इनका मानक स्नातक उपाधि (कम से कम 10+2 +3 पद्धति के अन्तर्गत) के समान होगा।

(v) **एम.पी.एड. (शारीरिक शिक्षा निष्णात)**

इसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी केंद्रों पर (अ) शारीरिक शिक्षा एवं शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धान्त, संगठन, विधियाँ, शारीरिक शिक्षा की सामग्रियाँ एवं पर्यवेक्षण, कोचिंग एवं आफिसियेटिंग के सिद्धान्त, एनाटॉमी एवं शरीर क्रिया विज्ञान, किनेसियोलॉजी, एथलेटिक चोटों की देख भाल एवं स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन, शिविर एवं शारीरिक शिक्षा का इतिहास पर आधारित 300 अंकों का 100 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 90 मिनट की अवधि का एक लिखित प्रश्न पत्र होगा और (ब) चयनित अभ्यर्थियों हेतु 300 अंकों का शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण (संशोधित एएएचपीईआर उपयुक्तता परीक्षण) परीक्षा नियंता द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा परीक्षा नियंता या उनके प्रतिनिधि(यों) की देखरेख में केवल शारीरिक शिक्षा विभाग, बीएचयू, वाराणसी में होगा।

नोट :

1. **प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक (लिखित) एवं शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण दोनों में सम्मलित होना अनिवार्य होगा।**
2. **चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रैक्टिकल परीक्षा केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में ही होगी।**
3. **शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण का कन्वर्जन फारमूला परीक्षण के समय उपलब्ध होगा।**
4. **प्रवेश के लिए शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रवेश हेतु**

अंतिम मेरिट सूची प्रवेश परीक्षा के घटक सैद्धांतिक (लिखित) एवं शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण में प्राप्त अंकों के समेकन के बाद ही घोषित की जाएगी।

(vi) **एम.ए. (संग्रहालय विज्ञान)**

इसमें स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए निर्धारित प्रा.भा.इ.सं. व पुरा. (प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति व पुरातत्व), कला इतिहास, संस्कृत एवं अन्य सम्बद्ध विषयों पर 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 90 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(vii) **एम.ए. प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता)**

इसमें मानव आधिकारों एवं पर्यावरणीय चैतन्यता सहित सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान मामले; परिमाणात्मक अभिक्षमता, भाषायी प्रवीणता एवं प्राथमिक हिन्दी व्याकरण, संविधान में हिन्दी, हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि का मानकीकरण, मीडिया में उपयोग हो रहे तकनीकी हिन्दी शब्द, सामान्यतौर पर कार्यालयी पत्राचार में उपयोग किये जाने वाले शब्दों/पदों का अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद; भारतीय पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास पर 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(viii) **पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन निष्णात (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किकता, वर्तमान मामले, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, इतिहास, कला इतिहास, पर्यटक क्षेत्र एवं गन्तव्य स्थल, खेल, सिनेमा, संगीत व नृत्य से सम्बन्धित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 90 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। यद्यपि, पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के अंकों, समूह चर्चा और साक्षात्कार (समूहचर्चा एवं साक्षात्कार के लिए सम्मिलित भारांक लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात् 60 अंक होंगे) में प्राप्त अंकों को मिलाकर समग्र मेरिट के आधार पर होगा। साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, योग्यताक्रम में बुलाने के लिए प्रवेश समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

(ix) **एम.ए.- सामाजिक कार्य (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें सामान्य ज्ञान, अभिक्षमता एवं तार्किकता, अनुसंधान विधियों का प्राथमिक ज्ञान, भारतीय सामाजिक समस्या एवं उनका उपचार, एनजीओ की जानकारी, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रकृति एवं गतिकी, नीति एवं योजना, सामाजिक कार्य के क्षेत्र, इत्यादि पर आधारित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। यद्यपि इस पाठ्यक्रम में दाखिला समग्र मेरिट के आधार पर होगा जिसमें प्रवेश परीक्षा के अंक, समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुतीकरण एवं साक्षात्कार (समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुतीकरण एवं साक्षात्कार के लिए संयुक्त भारांक लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात 60 अंक) शामिल होंगे।

(x) **एम.ए. - लोक प्रशासन (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें सामान्य ज्ञान, लोक प्रशासन, सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, लोक प्रशासन की पारिस्थितिकी, संगठन के सिद्धान्त एवं आधार, प्रबंधन, अधिकारी तंत्र, बजट, योजना, प्रत्यायोजित विधान और प्रशासन पर नियंत्रण के विविध प्रकार पर आधारित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xi) **समस्त एम.ए. {उपरोल्लिखित (ii से x) के अतिरिक्त}**

इसमें सम्बन्धित विषय में स्नातक स्तर पर आधारित 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाला 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xii) **एम.एससी.- स्वास्थ्य सांख्यिकी**

इसमें 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाला 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। 150 प्रश्नों में से 125 बहुविकल्पी प्रश्न स्नातक स्तर के अन्तर्गत पढ़ाये गये सांख्यिकी पाठ्यक्रम से होंगे और शेष 25 प्रश्न जीवन विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकीय तकनीकों पर आधारित होंगे।

(xiii) **एम.एससी.- जैव सूचना विज्ञान**

इसमें 450 अंकों का 150 मिनट अवधि के 150 बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे। इसे निम्नलिखित दो खंडों में विभक्त किया गया है- खंड अ में गणित, सांख्यिकी (10+2 स्तर का) एवं कम्प्यूटर साइंस (प्राथमिक स्तर का) 30 बहु विकल्पीय प्रश्न (कुल 90 अंकों का)। खंड ब में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी विज्ञान (स्नातक स्तर का) 360 अंकों का 40 बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को उपरोक्त दोनों खंडों से उत्तर देना है।

(xiv) **एम.एससी.- आणुविक एवं मानव आनुवांशिकी**

इसमें भौतिक विज्ञानों (भौतिकी - सीनियर सेकेन्डरी स्तर, रसायनशास्त्र - बी.एससी स्तर), जीव विज्ञान (बी.एससी. स्तर), कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, जैव रसायन एवं जैव प्रौद्योगिक (बी.एससी. स्तर) पर आधारित 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xv) **एम.ए./एम.एससी. (गणित, सांख्यिकी), एम.एससी. (भौतिकी, रसायन विज्ञान), एम.एससी. (टेक.) भूभौतिकी, एम.काम.**

इसमें सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। परन्तु एम.एससी. (टेक.) भू-भौतिकी के लिए प्रश्न स्नातक स्तर के भौतिकी एवं गणित (समान अनुपात में) से होंगे।

(xvi) **एम.एससी.- अनुप्रयुक्त सूक्ष्मजैविकी (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें 450 अंकों का 150 मिनट की अवधि वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के (अ) जीव विज्ञान, (ब) रसायन विज्ञान और (स) सूक्ष्मजैविकी पर स्नातक स्तर के 150 बहु विकल्पी प्रश्न होंगे ।

(xvii) **एम.एससी. - पर्यावरण विज्ञान (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें 120 मिनट का 360 अंकों का अ एवं ब खण्डों वाले स्नातक स्तर पर आधारित बहु विकल्पी प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को दोनों खण्डों को करना होगा। खण्ड अ में प्राथमिक पर्यावरण विज्ञान से 30 प्रश्न और रसायन विज्ञान से 60 प्रश्न होंगे। खण्ड ब में तीन उपखण्ड; जिनके नाम हैं, जीवन विज्ञान, भौतिकी एवं भूगर्भ विज्ञान के साथ प्रत्येक उपखण्ड में 30 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए खण्ड ब के तीन उपखण्डों में से किसी एक को चुनना होगा।

(xviii) **एम.एससी. - भूगर्भविज्ञान और एम. एससी. पेट्रोलियम भूविज्ञान हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत):**

इसमें सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xix) **समस्त एम.एससी.** {(xii से xviii) में उपरोल्लिखित के अतिरिक्त}:

इसमें 450 अंकों का सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xx) **एमसीए**

इसमें गणितीय अभिक्षमता (लगभगत 100 प्रश्न) और विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमता (लगभग 50 प्रश्न) पर 450 अंकों का 150 बहु क्किल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

गणितीय अभिक्षमता परीक्षण क्षेत्र (+2स्तर): लॉगरिथम, इनइक्वेलिटीज, मैट्रिक्स एवं डिटर्मिनेन्ट्स, प्रोग्रसन, बायोनामियल एक्सपेंसन, परम्यूटेशन एवं कम्बिनेशन, इक्वेशन (2 डिग्री तक), फंक्शन एवं रिलेशन, काम्प्लेक्स एरिथमेटिक, 2-डी कोआर्डिनेट जीओमेट्री, बेसिक्स ऑफ कैल्कुलस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राबेबिलिटी।

विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमता : प्रश्न मुख्यरूप से तार्किक निष्कर्ष को जाँचने, ग्राफिकल/डाटा इंटरप्रिटेशन इत्यादि के लिए होंगे।

(xxi) **एम.एससी.- पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण प्रौद्योगिकी) (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें स्नातक स्तर के 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। (50 प्रश्न) सामान्य विज्ञान और पर्यावरणीय अभियांत्रिकी और पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (100 प्रश्न) पर होंगे ।

(xxii) **एम.एससी.- सांख्यिकी एवं संगणन (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम)**

कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा जिसकी अवधि 150 मिनट होगी इसके लिए 450 अंक निर्धारित होंगे। इसमें काहिविवि के स्नातक स्तर के स्टेटिस्टिक्स (बीएचयू की वेबसाईट पर उपलब्ध) पर आधारित 125 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा फोट्रान तथा सी जैसी उच्च स्तरीय प्रोगामिंग भाषा का उपयोग करते हुए स्टैटिकल कम्प्यूटिंग पर आधारित 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

(xxiii) **एम.एससी.- संगणकीय विज्ञान एवं संकेत प्रसंस्करण में अनुप्रयोग**

कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा जिसकी अवधि 150 मिनट होगी इसके लिए 450 अंक निर्धारित होंगे। इसमें काहिविवि के स्नातक स्तर के (बीएचयू की वेबसाईट पर उपलब्ध) प्राथमिक सांख्यिकी (50 प्रश्न), गणित (50 प्रश्न) तथा संगणक विज्ञान (50 प्रश्न) पर आधारित 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

(xxiv) **एम.एससी.- फोरेंसिक विज्ञान (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम)**

120 मिनट की अवधि का अ तथा ब खंडों वाला 360 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा। अ तथा ब खंडों का विवरण निम्नानुसार है:

(अ) खंड अ में अभ्यर्थी के मौलिक ज्ञान के परीक्षण के लिए 10+2 स्तर के सामान्य विज्ञान के 60 प्रश्न तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, तर्क क्षमता तथा तार्किक कौशल के परीक्षण के लिए सामान्य प्रकृति के 20 प्रश्न होंगें।

(ब) खंड ब में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा भौतिकी के कुल चार उपखंड होंगें जिनमें प्रत्येक से स्नातक स्तर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी को खंड ब में से किसी एक ही उपखंड का चयन कर उत्तर देना होगा।

(xxv) **एलएल.एम. (2-वर्ष, 4-सेमेस्टर) /एलएल.एम. (1-वर्ष, 2-सेमेस्टर) (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम) /एलएल.एम. (मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा) (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम)**

इसमें न्याय शास्त्र, संवैधानिक कानून, संविदा का नियम, यंत्रणा कानून, अपराध कानून, पर्यावरणीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय जन कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि पर 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxvi) **एम.एफ.ए.**

इसमें बी.एफ.ए. स्तर पर सम्बन्धित विषय की सामग्रियाँ एवं विधियाँ और कला इतिहास से सम्बन्धित 150 अंकों का 50 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 60 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा एवं 150 अंकों का 120 मिनट अवधि की व्यावहारिक परीक्षा होगी। व्यावहारिक परीक्षा के लिए शीर्षक व्यावहारिक परीक्षा के समय दिया जायेगा। योग्यता क्रम लिखित एव व्यावहारिक परीक्षा के सम्मिलित अंकों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

टिप्पणी :

1. **चयनित अभ्यर्थियों हेतु व्यावहारिक परीक्षा केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में ही होगी।**

2. प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक (लिखित) एवं व्यावहारिक परीक्षा दोनों में सम्मलित होना अनिवार्य होगा।

(xxvii) **एमपीए {गायन/(वादन- सितार, बॉसुरी, वायलिन, तबला)/ (नृत्य- (कथक/भरत नाट्यम)}**

इसमें का.हि.वि.वि. के बी.म्यूज./बीपीए स्तर पाठ्यक्रम अथवा अन्य विश्वविद्यालय का समकक्ष पाठ्यक्रम का 300 अंकों के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 600 अंकों वाला 45 मिनट अवधि की एक व्यावहारिक परीक्षा (प्रदर्शन एवं मौखिकी) भी होगी। लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षाओं को मिलाकर अंकों की कुल संख्या 900 होगी।

टिप्पणी :

1. **चयनित अभ्यर्थियों हेतु व्यावहारिक परीक्षा केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में ही होगी।**
2. **प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक (लिखित) एवं व्यावहारिक परीक्षा दोनों में सम्मलित होना अनिवार्य होगा।**

(xxviii) **एमपीए- संगीतशास्त्र**

इसमें 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र और 450 अंकों का 45 मिनट अवधि की एक व्यावहारिक परीक्षा (प्रदर्शन एवं मौखिकी) होगी।

सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र राग, ताल, संगीत पैमाना, संगीत के रूप संगीत के उपकरण, संगीत का इतिहास एवं सिद्धान्त, संगीत की दार्शनिक अवधारणाएँ, संगीत में मनोवैज्ञानिक पक्ष, वर्तमान संगीत अवसरों पर समान्य ज्ञान एवं सौन्दर्यबोध की विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित होगी।

टिप्पणी :

1. **चयनित अभ्यर्थियों हेतु व्यावहारिक परीक्षा केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में ही होगी।**
2. **प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक (लिखित) एवं व्यावहारिक परीक्षा दोनों में सम्मलित होना अनिवार्य होगा।**

(xxix) **एम.एड.**

इसमें बी.एड. या समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में भाषायी प्रवीणता पर बहुविकल्पी प्रश्नों के दो समूह भी होंगे हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक-एक, जहाँ अभ्यर्थी के लिए हिन्दी भाषा समूह अथवा अंग्रेजी भाषा समूह से उत्तर देने की आवश्यकता होगी, परन्तु दोनों से नहीं देना है।

(xxx) **एम.एड. (विशेष शिक्षा) (दृष्टि वाधित) (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत)**

इसमें बी.एड.-विशेष शिक्षा (दृष्टि वाधित) या समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में भाषायी प्रवीणता पर बहुविकल्पी प्रश्नों के दो समूह भी होंगे, हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक-एक, जहाँ अभ्यर्थी के लिए हिन्दी भाषा समूह अथवा अंग्रेजी भाषा समूह से उत्तर देने की आवश्यकता होगी, परन्तु दोनों से नहीं देना है।

(xxxi) **एम.एड. (विशेष शिक्षा) (श्रवण वाधित) (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत)**

इसमें बी.एड.-विशेष शिक्षा (श्रवण वाधित) या समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में भाषायी प्रवीणता पर बहुविकल्पी प्रश्नों के दो समूह भी होंगे, हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक-एक, जहाँ अभ्यर्थी के लिए हिन्दी भाषा समूह अथवा अंग्रेजी भाषा समूह से उत्तर देने की आवश्यकता होगी, परन्तु दोनों से नहीं देना है।

(xxxii) **एम.एससी.- खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें कृषि, दुग्ध प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि अभियांत्रिकी, दुग्ध रसायन, दुग्ध सूक्ष्मजैविकी, इत्यादि विषयों से स्नातक स्तरीय 360 अंकों का 120 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxxiii) **एम.एससी.- पादप जैव प्रौद्योगिकी (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें बी.एससी. (कृषि)/जीवविज्ञान के साथ बी.एस.सी./बी. एससी. (जैव प्रौद्योगिकी) पर आधारित 360 अंकों का 120 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxxiv) **एम.टेक. - कृषि अभियांत्रिकी (मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी) (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें बी. टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)/बी.ई. (कृषि अभियांत्रिकी) पर आधारित 360 अंकों का 120 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxxv) **एम.एससी. - (कृषि)**

इसमें बी. एससी. (कृषि) पाठ्यक्रम पर आधारित 360 अंकों के 120 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxxvi) **एम.एससी. - (कृषि) मृदा एवं जल संरक्षण (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें बी. एससी. (कृषि) पाठ्यक्रम पर आधारित 360 अंकों के 120 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxxvii) **एम.एससी. - (कृषि) कृषिवानिकी (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें बी. एससी. (कृषि)/ बी. एससी. (जीवविज्ञान) / बी. एससी. (पर्यावरण विज्ञान) / बी. एससी. (औद्यानिकी) पाठ्यक्रम पर आधारित 360 अंकों के 120 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxxviii) **कृषि व्यवसाय प्रबंधन निष्णात (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

120 मिनट की अवधि का 300 अंकों का तर्कशक्ति परीक्षण, आकड़ा निर्वचन एवं संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश कम्प्रीहेनशन, सामान्य अध्ध्यन, अभिरूचि परीक्षण व कृषि विज्ञान पर आधारित 100 विकल्पीय प्रश्न होंगे। तथापि पाठ्यक्रम में प्रवेश कम्पोजिट मेरिट के आधार पर किये जायेंग जिसमें प्रवेश परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के अंक शामिल होंगे (समूह चर्चा एवं साक्षात्कार हेतु सम्मिलित अधिभार लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 20 प्रतिशत अर्थात 60 अंक होगा। साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए मेरिट के आधार पर बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

(xxxix) **कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध निष्णात (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें तर्कशक्ति का परीक्षण, डाटा इंटरप्रिटेशन व आंकिक योग्यता, अंग्रेजी में दक्षता, योग्यता परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता पर आधारित 300 अंकों के 100 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि की एक लिखित परीक्षा होगी। यद्यपि, पाठ्यक्रम में प्रवेश का आधार प्रवेश परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार (समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए कम्पोजिट वेटेज लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात् 60 अंक होगा) में अंकों से निर्मित कम्पोजिट मेरिट के अनुसार होगा। योग्यता के क्रम में, साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

(xl) **एमबीए (वित्तीय प्रबंधन)/एमबीए (विदेशी व्यापार)/एमबीए (जोखिम एवं बीमा) हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा**

पाठ्यक्रम में प्रवेश, संयुक्त मेरिट जिसमें प्रवेश परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के अंक शामिल होंगे, के आधार पर किया जायेगा।

इसमें 450 अंकों के 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 150 मिनट की अवधि का एक प्रश्नपत्र होगा, जो निम्नलिखित प्रकार से तीन खण्डों में विभाजित होगा:

(i) खण्ड-1: शैक्षणिक अभिरूचि, (हिन्दी/अंग्रेजी) शब्द भण्डार, व्यवहार, व्याकरण, मुहावरे, वाक्यांश, वाक्यों को पूरा करना एवं सुधार इत्यादि के ज्ञान से (अधिभार 30 प्रतिशत)

(ii) खण्ड-2: आंकिक एवं परिमाणात्मक तार्किक क्षमता, संगणना की योग्यता, एवं परिमाणात्मक तार्किक एवं तालिकाओं की व्याख्या (अधिभार 30 प्रतिशत)।

(iii) खण्ड-3: सामान्य ज्ञान- अर्थशास्त्र, वित, विदेशी व्यापार, बीमा, बैंकिंग एवं समसामयिक आर्थिक मामलें (अधिभार 40 प्रतिशत)

समूह चर्चा एवं साक्षात्कार हेतु संयुक्त अधिभार लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 20 प्रतिशत अर्थात् 90 अंक होगा। समूह चर्चा एवं साक्षात्कार हेतु मेरिट के आधार पर बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

(xli) **एम.बी.ए.- कृषि व्यवसाय (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें तर्कशक्ति का परीक्षण, डाटा इंटरप्रिटेशन व आंकिक योग्यता, अंग्रेजी में दक्षता, योग्यता परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता पर आधारित 300 अंकों के 100 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि की एक लिखित परीक्षा होगी। यद्यपि, पाठ्यक्रम में प्रवेश का आधार प्रवेश परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार (समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए कम्पोजिट वेटेज लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात् 60 अंक होगा) में अंकों से निर्मित कम्पोजिट मेरिट के अनुसार होगा। योग्यता के क्रम में, साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

(xlii) **कारपोरेट संचार प्रबंधन निष्णात (विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)**

इसमें सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान मामले; अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता सहित भाषाई प्रवीणता और तार्किक परिमाणात्मक एवं विश्लेषण क्षमताएँ; और अभिक्षमता (रूझान) (प्रतिशत, तालिकाएँ, ग्राफ्स, इत्यादि से अनुमानित) पर 450 अंकों का 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। यद्यपि पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के अंकों, समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुति एवं साक्षात्कार (समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के लिए सम्मिलित भारांक लिखित परीक्षा में कुल अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात 90 अंक जिसमें प्रत्येक के लिए 30 भारांक होंगे) में अंकों से निर्मित मिश्रित योजना के आधार पर होगी। साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, योग्यता क्रम में बुलाने के लिए प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(xliii) **एम.ए.- कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन एण्ड विकास (एमसीएमडी)**

इसमें भारत में एवं वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से केन्द्रित कॉन्फ्लिक्ट स्थितियों का सामान्य ज्ञान, अभिक्षमता, तर्कशक्ति एवं समसामयिक मुद्दों की जानकारी पर आधारित 300 अंकों के 100 बहु विकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि की एक लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी को सामान्यतौर पर शान्ति, संघर्ष, सुरक्षा एवं विकास के मुद्दों के बारे में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। यद्यपि पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के अंकों, समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुति एवं साक्षात्कार (समूह चर्चा, मौखिक प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के लिए सम्मिलित भारांक लिखित परीक्षा में कुल अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात 60 अंक) में प्राप्त अंकों से निर्मित संयुक्त मेरिट के आधार पर होगी। साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, योग्यता क्रम में बुलाने के लिए प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(xliv) **एम.ए.- शिक्षा**

इसमें **शिक्षा** अर्थात् आधार (दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं शोध प्रविधि), ऐतिहासिक समीक्षा, समकालीन मुद्दे और रुझान, नवप्रवर्तन, पाठ्यक्रम, आयोजना एवं वित्त, प्रशासन, मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी, परामर्श एवं विशेष शिक्षा पर आधारित स्नातक स्तर के 450 अंकों के 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 120 मिनट की अवधि का एक प्रश्नपत्र होगा।

(xlv) **एम.ए.- समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन**

इसमें सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख विषयों, यथा- अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोवविज्ञान, ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन पर आधारित स्नातक स्तर के 300 अंकों के 100 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 120 मिनट की अवधि की एक लिखित परीत्रा होगी।

(xlvi) **खुदरा प्रबंधन व्यवसाय निष्णात /लॉजिस्टिक प्रबंधन व्यवसाय निष्णात/ आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन व्यवसाय निष्णात (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत) हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा**

पाठ्यक्रम में प्रवेश, संयुक्त मेरिट जिसमें प्रवेश परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के अंक शामिल होंगे, के आधार पर किया जायेगा।

इसमें 450 अंकों के 150 बहु विकल्पी प्रश्नों वाला 150 मिनट की अवधि का एक प्रश्नपत्र होगा, जो निम्नलिखित प्रकार से तीन खण्डों में विभाजित होगा:

(iv) खण्ड-1: शैक्षणिक अभिरूचि, (हिन्दी/अंग्रेजी) शब्द भण्डार, व्यवहार, व्याकरण, मुहावरे, वाक्यांश, वाक्यों को पूरा करना एवं सुधार इत्यादि के ज्ञान से (अधिभार 30 प्रतिशत)

(v) खण्ड-2: आंकिक एवं परिमाणात्मक तार्किक क्षमता, संगणना की योग्यता, एवं परिमाणात्मक तार्किक एवं तालिकाओं की व्याख्या (अधिभार 30 प्रतिशत)।

(vi) खण्ड-3: सामान्य ज्ञान- अर्थशास्त्र, वित, विदेशी व्यापार, बीमा, बैंकिंग एवं समसामयिक आर्थिक मामलें (अधिभार 40 प्रतिशत)

समूह चर्चा एवं साक्षात्कार हेतु संयुक्त अधिभार लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 20 प्रतिशत अर्थात् 90 अंक होगा। समूह चर्चा एवं साक्षात्कार हेतु मेरिट के आधार पर बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नपत्रों की भाषा के संबंध में टिप्पणी:

(i) एम.लिब. एवं सूचना विज्ञान, एम.बी.ए. {(कृषि व्यवसाय), एम.एससी. (कृषि), एम.सी.ए., एम.ए. जन संप्रेषण एवं समस्त एम.एससी. (कामन विषयों को छोड़कर)} के लिए प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

(ii) एलएल.एम (2-वर्ष) /(1-वर्ष) /(मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा), एम.ए./एम.एससी. (सांख्यिकी, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान) और समस्त एम.ए. (भाषाओं के अतिरिक्त) के लिए प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में होंगे।

(iii) समस्त आचार्य के लिए प्रश्न पत्र केवल संस्कृत में होंगे।

(iv) समस्त भाषाओं के लिए प्रश्न पत्र (संस्कृत के अतिरिक्त) सम्बन्धित भाषाओं में होंगे। एम.ए. (संस्कृत) के लिए प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में होगा।

16. प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि

i. परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न-पुस्तिका तथा अलग से उत्तर पत्रक दिए जाएंगे।

ii. **प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही** परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उसके प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ सही क्रम में हैं और कोई भी पृष्ठ/प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिये।

iii. परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्नपत्र एवं उत्तर पत्रक के निर्दिष्ट स्थान पर केवल **स्याही/बाल प्वाइंट पेन** से लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपना **अनुक्रमांक उत्तर पत्रक के अधोभाग में उपयुक्त अण्डाकृति में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से अंकित करना चाहिये** तथा उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर **स्याही/बाल पेन** से प्रश्नपत्र पुस्तिका संख्या तथा सेट संख्या (यदि हो) अंकित करना चाहिए। (नोट : कृपया ध्यान दें कि अनुक्रमांक अंकित करने अथवा सेट नंबर लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं हो

पाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी यह भी ध्यान रखें कि सेट नंबर, यदि कोई हो, अनुक्रमांक तथा अन्य आवश्यक विवरण न भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा परीक्षार्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।)

iv. परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्दिष्ट स्थान पर अपना अनुक्रमांक एवं उत्तरपत्रक की क्रम संख्या केवल **स्याही/ बाल प्वाइंट पेन** से अंकित करना है।

v. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे। परीक्षार्थी जिस विकल्प को सही समझता है, उसे उपयुक्त अण्डाकृति में केवल **नीले/काले बाल प्वाइंट पेन** से रंग कर अपना उत्तर दर्ज करना होगा जैसा कि उत्तर पत्रक के पहले पेज पर दिए गए दिशानिर्देशों में उल्लिखित होगा। उदाहरण के लिये यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) तथा (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिये (2) का चयन करता है तो उसे उपयुक्त अण्डाकृति में निम्न प्रकार से दर्शाना चाहिए-

प्रश्न संख्या 15

उत्तर देने की गलत विधि*

प्रश्न संख्या 15 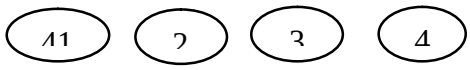

प्रश्न संख्या 15 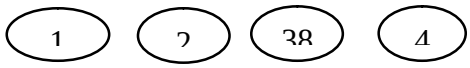

प्रश्न संख्या 15 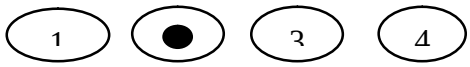

***गलत विधि से दिए गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा**

vi. यदि परीक्षार्थी एक से अधिक अण्डाकृति रंगता है या अण्डाकृति को ठीक तरीके सं नहीं रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा। मार्किंग के लिए अपनायी गयी अन्य विधियां, यथा टिक मार्क, क्रास मार्क, बिन्दु का प्रयोग, लाइनमार्क तथा आधे भरे हुये अण्डाकृति व अण्डाकृति के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

vii. परीक्षार्थी द्वारा यदि कोई प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न से सम्बद्ध सभी अण्डाकृतियों को खाली छोड़ देना चाहिए। ऐसे प्रश्नों के लिए शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे।

viii. परीक्षा पुस्तिका के शीर्ष आवरण के अंतर्वर्ती पृष्ठ या परीक्षा पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।

ix. परीक्षा पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ को फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के प्रयोग करने की सजा का भागी होगा तथा उसे प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी :

अ. यदि परीक्षार्थी उत्तर पत्रक पर अनुक्रमांक, सेट संख्या इत्यादि लिखने/भरने में कोई त्रुटि करता है तो इसे सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होगी तथा उत्तर पत्रक तदनुसार मूल्याकिंत होगी। **परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चूंकि उत्तर स्याही से दर्शाये जा रहे हैं अतः एक बार दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। (उत्तर में परिवर्तन के लिए ह्वाइटनर का प्रयोग वर्जित है।)**

ब. (i) विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका दे दी जाएगी।

(ii) प्रवेश परीक्षाएं सम्पन्न होने के बाद साधारणतः 4-5 दिन के अंदर औपबन्धिक उत्तर (कुंजी) विश्वविद्यालय की

वेबसाइट www.bhu.ac.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।
(iii) यदि प्रश्न/उत्तर के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in पर औपबन्धिक उत्तर कुंजी प्रदर्शित किए जाने के उपरान्त 5 दिन का समय दिया जायेगा ताकि वे अपना/अपनी शिकायत परीक्षा नियंता कार्यालय में दर्ज करा सकें। इस प्रकार निर्धारित उत्तर कंजी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा तथा इसके बाद पुनर्वलोकन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(iv) शिकायत दर्ज कराते समय अभ्यर्थी को अपना नाम, अनुक्रमांक, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कूट संख्या, प्रश्न पत्र पुस्तिका की सेट संख्या (यदि कोई हो) तथा प्रश्न का क्रमांक एवं इसके कुंजी का अवश्य उल्लेख करना होगा।
(v) प्रश्नों/कुंजी के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

17. पीईटी में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

i. परीक्षार्थी को अपनी प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वैध प्रवेश-पत्र अवश्य लाना चाहिए। उसे उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अपने अनुक्रमांक की सीट पर ही स्थान ग्रहण करना चाहिये।

ii. प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के **आधे घण्टे के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।**

iii. परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने के पूर्व परीक्षा-कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

iv. प्रवेश परीक्षाओं में दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के अलावा दूसरे परीक्षार्थियों के लिए 'लेखक' उपलब्ध कराने अथवा 'लेखक' लाने का कोई प्रावधान नहीं है। दृष्टिहीन परीक्षार्थी द्वारा निवेदन करने पर ही उसे 'लेखक' उपलब्ध कराया जायेगा [अधिक जानकारी के लिए इस सूचना पुस्तिका का खण्ड 4 (iii) देखें]।

v. किसी स्रोत-सामग्री की तनिक भी शंका होने पर परीक्षार्थी की जाँच कक्ष निरीक्षक द्वारा अचानक या परीक्षा संचालित कर रहे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सहसा और बार-बार की जा सकेगी।

vi. **परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर/वॉच कैलकुलेटर, इलेक्ट्रानिक डायरी, पेजर, मोबाइल फोन, ईयर फोन, अलार्म घड़ी, मेमोरी वाली डिजिटल घड़ी, स्लाइड रूल, इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। अनुज्ञापित हथियार आग्नेय अस्त्र, प्राणघातक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने वाले औजार भी परीक्षा कक्ष में लाने की अनुमति नहीं है।**

vii. **परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर परीक्षार्थी की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी :**

परीक्षार्थी के पास प्रासंगिक/ अप्रासंगिक साधन-सामग्री का पाया जाना या उसके परीक्षा स्थान के आस-पास जमीन पर अथवा सीट के आस-पास अनुचित सामग्री का पाया जाना या अनाधिकृत सामग्री जैसा (vi) पर दर्शाया गया है/कागज/सूचना सामग्री या किसी भी प्रकार की परीक्षा से सम्बधित स्रोत सामग्री रखना, किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक रुप से सूचना का आदान-प्रदान करना अथवा प्रश्न-पुस्तिका/उत्तर पत्रक की एक दूसरे के बीच अदला बदली अथवा अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी गलत साधनों का प्रवेश परीक्षा के दौरान इस्तेमाल करना, प्रवेश पत्र पर कुछ लिखना, प्रवेश पत्र का लिफाफा संबधित कागज परीक्षा-हॉल में ले जाना, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नपुस्तिका एवं ओएमआर प्रपत्र की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन आदि या प्रश्नपुस्तिका तथा ओएमआर प्रत्रक संख्या में [अनुक्रमांक अंकों एवं शब्दों में तथा ओ. एम. आर. प्रत्रक में अनुक्रमांक संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या एवं सेट संख्या (यदि कोई हो) जो सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित न हो, आवेदन पत्र भरते समय किए गए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं प्रवेश परीक्षा के समय किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षरों का मिलान न होने पर।

viii. **परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी तथा भविष्य में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य करार कर दिया जायेगा :**

प्रवेश पत्र अथवा छायाचित्र में हेर-फेर, चेहरे का प्रवेश पत्र पर दिये गये फोटोग्राफ से पूर्णतया मेल न खाना, निर्धारित स्थान पर न बैठना, बैठने की व्यवस्था में बदलाव करना, प्रश्न-पुस्तिका का कोई भाग अथवा पूरी प्रश्न-पुस्तिका अथवा प्रवेश परीक्षा की सामग्री या उससे सम्बन्धित किसी अन्य साम्रगी को परीक्षा-कक्ष से बाहर या अन्दर ले जाना, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, प्रवेश

परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना या व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करना, प्रश्नों या उनके उत्तरों को नोट करना, परीक्षा भवन/परीक्षा केन्द्र/विश्वविद्यालय परिसर में नारा लगाना या अव्यवस्था उत्पन्न करना।

ix. छद्म रूप से किसी व्यक्ति का किसी परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देना कानूनन दण्डनीय अपराध है। किसी भी परीक्षार्थी को बिना वैध प्रवेशपत्र के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन हेतु माँगे जाने पर परीक्षार्थी को प्रवेशपत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षार्थी की पहचान प्रवेश पत्र में दिए गए उसके विवरण के सत्यापन द्वारा की जाएगी। पहचान संदिग्ध होने पर उसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अगूँठा निशानी/एकाधिक हस्ताक्षर नमूना लेने और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकारी के विवेकानुसार दी जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई समय नहीं दिया जायेगा।
ठीक उसी प्रकार काउन्सिलिंग के समय भी उपलब्ध कागजातों से अभ्यर्थी की पहचान का मिलान विश्वविद्यालय में किया जायेगा और किसी भी प्रकार का सन्देह होने पर उसका/उसकी प्रवेश अंतिम रूप से सत्यापन होने तक स्थगित रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसके विरूद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के तहत उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली समस्त प्रवेश परीक्षाओं से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय का कोई छात्र या कर्मचारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे क्रमशः निष्कासित और सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।

x. **सूचना को छिपाना या गुप्त रखना :** अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम योग्यताएँ पूरी करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करता है अथवा उसके विरूद्ध ऐसा कुछ है जो कि उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करता है अथवा अभ्यर्थी ने कोई गलत सूचना दी है अथवा पूर्व में किसी कदाचार व अनुशासनहीनता या ऐसे किसी कृत्य में संलिप्तता रही हो जो कि कानूनन दण्डनीय है, की जानकारी नहीं दी है तो उसका अभ्यर्थन विचारणीय नहीं होगा तथा प्रवेश यदि किसी भी स्तर पर हो चुका है तो भी निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

xi. प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी परीक्षा केन्द्र के आस-पास घूमने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास घूमता हुआ पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा एफआईआर दर्ज करवाकर उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया जायेगा।

xii. **किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर पीईटी उत्तर पत्रक के पुनरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।**

xiii. समय-समय पर प्रवर्तित होने वाले बीएचयू के संविधि/अध्यादेश/नियम तथा विनियम अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होंगे।

xiv. पीईटी प्रवेश परीक्षा से सम्बधित कोई भी अभियोग वाराणसी के स्थानीय न्यायालय तथा/अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

xv. **व्याख्या सम्बन्धी किसी भी दुरूहता की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही मान्य होगा।**

18. **मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम**

पीईटी में अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में ऋणात्मक अंक भी होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काट लिए जाएंगे। जिन प्रश्नों को हल नहीं किया जायेगा उन पर 'शून्य' अंक दिए जाएंगे।

अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में योग्यता के क्रम के अनुसार किया जायेगा, बशर्ते वह न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूर्ण करता हो और जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विभिन्न श्रेणियों के लिए) सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किया हो। विश्वविद्यालय के पास प्रवेश परीक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा/ या विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम अर्हता अंक में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। यद्यपि एमपीए, एमपीए.- संगीतशास्त्र तथा एमएफए के लिए न्यूनतम अर्हता लिखित प्रश्नपत्र में 35 प्रतिशत एवं परीक्षा में 45 प्रतिशत होगा। मेरिट लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षा में प्राप्तांकों के योग के आधार पर बनाई जाएगी।

एम.पी.एड.* के लिए लिखित परीक्षा एवं शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण में न्यूनतम अर्हता अंक क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत होंगे। एम.पी. एड. के लिए योग्यता क्रम का निर्धारण दो भागों यथा, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण में प्राप्तांक के योग से निर्धारण होगा। उपरोक्त न्यूनतम अर्हता अंकों में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

यदि एमएफए तथा एमपीए / एमपीए-संगातशास्त्र के लिए न्यूनतम अर्हता अंक कमतर किए जाते हैं तो मेरिट निम्नानुसार तैयार की जाएगी :
(i) प्रथमतः सम्मिलित अंकों के आधार पर वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में सम्मलित किए जाएंगे जो लिखित तथा व्यावहारिक दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हों। (ii) उसके पश्चात् सम्मिलित अंकों के आधार पर वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में सम्मलित होंगे जो व्यावहारिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हों, परन्तु लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक न प्राप्त कर पाए हों।

एमपीए/ एमपीए-संगीतशास्त्र तथा एमएफए के मामले में सभी श्रेणी के अम्यर्थियों हेतु उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी। इसके अतिरिक्त, यदि कोई अभ्यर्थि लिखित परीक्षा के साथ ही साथ व्यावबारिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो उसे पीईटी में शामिल समझा जायेगा। यदि एम.पी.एड. में न्यूनतम अर्हता अंकों को शिथिल किया जाता है, तो मेरिट निम्नानुसार तैयार की जाएगी :

(i) सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची में रखा जायेगा, जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण दोनों में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हों। (ii) उसके पश्चात्, लिखित परीक्षा, शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण के सम्मिलित प्राप्तांकों के आधार पर उन अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में रखा जायेगा, जिन्होंने शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हैं लेकिन लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं किये हैं।

विशेष: उपरोक्त प्रक्रिया सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। इसके साथ ही, वे अभ्यर्थी जो लिखित एवं शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण / व्यावहारिक परीक्षामें सम्मिलित हुए होंगे, पी.ई.टी. में सम्मिलित माने जायेंगे।

पारस्परिक वरीयता क्रम : पी.ई.टी. (सभी पाठ्यक्रमों के लिए) में समान इंडेस्क होने पर **पारस्परिक वरीयता क्रम** निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:
(अ) अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत (मार्क्स) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहां अभ्यर्थी स्नातक/स्नातकोत्तर, जैसे भाषा विज्ञान में एम.ए. और जन संचार में एम.ए. हेतु अर्ह हैं, वहाँ पारस्परिक वरीयता क्रम का निर्धारण स्नातक स्तर पर प्रप्तांकों के कुलयोग के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा।
(ब) ऐसे मामलों में जहाँ अर्हता परीक्षा में अंकों के कुलयोग के प्रतिशत समान हो, तो वहाँ उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जिसके पास सम्बन्धित विषय में उच्च अंक हैं। **एमसीए में :** ऐसे मामलों में जहाँ अर्हक परीक्षा में भी अंकों का प्रतिशत समान हो तो वहाँ स्नातक स्तर पर गणित विषय रखने वाले अभ्यर्थी को पहले वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि

वहाँ पर ऐसे अनेक अभ्यर्थी हैं, तो स्नातक स्तर पर गणित विषय में उच्च अंक रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, और ये सभी भी समान हों, तो इण्टरमीडिएट या + 2 स्तर पर। अन्ततः, ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनके पास + 2 स्तर पर गणित है, परन्तु स्नातक स्तर पर नहीं है, को भी उसी के समान विचार किया जायेगा।

(स) उपरोक्त वर्णित परीक्षाओं में समान अंकों वाले अभ्यर्थियों के मामलों में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

परीक्षाफल

विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों के परीक्षाफल की उद्घोषणा जून 2016 के तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान करने का प्रयत्न करेगा जो बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोटर्ल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, उसकी समग्र मेरिट और सम्बन्धित श्रेणी की मेरिट अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे जायेंगे। यह आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज मोबाईल नं. पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजा जायेगा। अतएव अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे पत्राचार के लिए सही ईमेल/मोबाईल नं. दें।

महत्त्वपूर्ण :
विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में कहीं पर कुछ विरोध होने का उल्लेख होने के बावजूद, किसी भी आधार पर प्रवेश परीक्षाओं के उत्तरर/पुस्तिका की जाँच/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। साथ ही, प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन या मूल्यांकित उत्तर पत्र, परीक्षा संचालन तरीके के सम्बन्ध में कोई भी पूछताछ स्वीकार नहीं की जायेगी।

19. प्रवेश के समय अपेक्षित मूल दस्तावेज :

केवल चयनित/प्रतीक्षा सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को ही सम्बन्धित संकायों के संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष द्वारा उनके प्रवेश के बारे में **'बुलावा पत्र' (प्रवेश परीक्षा पोर्टल से डाउनलोड किया गया)** द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी विशेष तिथि/तिथियों पर किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुलाया जाता है, तो उसे नीचे दिए गए समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां अपने साथ लाना होगा, जिसे न लाने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा (बुलावा पत्र में विस्तृत जानकारी दी जायेगी)।

i. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
ii. प्रवजन प्रमाण पत्र, यदि का.हि.वि.वि. के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हों (प्रवेश लेने के 90 दिनों के अन्दर जमा करना होगा)।
iii. हाईस्कूल प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
iv. इण्टरमीडिएट (+2) प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
v. हाईस्कूल/समकक्ष और इण्टरमीडिएट (+2)/समकक्ष के अंक पत्र।
vi. अर्हता परीक्षा का अंक पत्र (नीचे उपखंड 21 पर टिप्पणी देखें)।
vii. परीक्षा नियंता कार्यालय, का.हि.वि.वि. द्वारा जारी पीईटी प्रवेश पत्र।
viii. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. का प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आरक्षण का दावा किया गया है।
ix. खेल सीटों के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र(त्रों)।
x. का.हि.वि.वि. के स्थायी सेवा के कर्मचारी/अवकाश प्राप्त/पुनर्नियुक्त/दिवंगत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' द्वारा निर्धारित प्रारुप में जारी प्रमाण पत्र।

अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपने पास सभी मूल दस्तावेज जैसे हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र, इण्टरमीडिएट या समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र (यदि जारी किए गए हों), आरक्षण प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, प्रवजन प्रमाण-पत्र (यदि बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो) तथा सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र रखना होगा जिनके न होने पर उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। **यद्यपि, सम्बन्धित परीक्षा प्राधिकरण के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अंकपत्र (प्रवेश समिति के सत्यापन के अधीन), गोपनीय अंक पत्र अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/परीक्षा नियंता या सम्बन्धित बोर्ड के सचिव (सीनियर सेकेंडरी स्तर की अर्हता परीक्षा के मामले में) द्वारा जारी किया गया हो, को भी प्रवेश के समय स्वीकार किया जाएगा।**

20. प्रवेश प्रक्रिया

किसी पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश केवल तभी हो सकता है जब वह समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूरी करता/करती हो, पीईटी में सम्मिलित हुआ/हुई हो व उत्तीर्ण हुआ/हुई हो तथा प्रवेश हेतु समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करता/करती हो। प्रवेश निश्चित रूप से पूर्णतया स्नातक प्रवेश परीक्षा की मेरिट योग्यता अंको, पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता, सूचना पुस्तिका में दिये गये नियमों तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर ही होगा।

प्रवेश परीक्षा (पी.ई.टी.) का परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद प्रवेश-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। प्रवेश सम्बन्धित विभागों की प्रवेश समितियों द्वारा किए जाएंगे। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/समन्वयक अभ्यर्थियों को काउन्सिंलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुलावा पत्र जारी करेंगे। जैसे ही, बुलावा पत्र जारी कर दिए जाते हैं, चयनित अभ्यर्थी **बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए प्रवेश परीक्षा पोर्टल [www.bhuonline.in] के 'कैंडिडेट सेगमेंट' पर लॉग-इन करें। बुलावा पत्र जारी करने की सूचना अभ्यर्थी को उसके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी/मोबाइल पर भेजी जाएगी। अतएव, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे पत्राचार के लिए सही ई-मेल/मोबाईल नं. दें। अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।** पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों से 2-4 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजे जाएंगे। प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट इंडेक्स पर आधारित है।

नोट : कभी-कभी तकनीकी कारणों से अभ्यर्थियों को ई-मेल/एसएमएस नहीं भी प्राप्त हो सकते हैं। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग कार्यक्रम, बुलावा पत्र डाउनलोड करने, प्रवेश शुल्क के भुगतान इत्यादि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए जाने के पश्चात् प्रत्येक दिन बीएचयू का प्रवेश परीक्षा पोर्टल **[www.bhuonline.in]** देखें।

काउंसलिंग प्रक्रिया

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कंप्यूटरीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में निम्न चरण होंगे :

चरण-1: ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि (बुलावा पत्र जारी होने पर अथवा उसके पश्चात् तथा काउंसलिंग की तिथि से पहले)

किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुलाए गए प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नानुसार ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि फार्म भरना होगा। पासवर्ड मिलने के बाद ऑनलाइन **वरीयता प्रविष्टि** करने के लिए प्रविष्टि फार्म प्रवेश परीक्षा पोर्टल **[www.bhuonline.in]** के 'कैंडिडेट सेगमेंट' पर उपलब्ध व सक्रिय होगा। वरीयता प्रविष्टि फार्म में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से अपनी वरीयता देनी होगी :

- **पाठ्यक्रम का चयन :** यह वरीयता विकल्प तभी उपलब्ध होगा जब प्रवेश कॉमन प्रवेश परीक्षा [कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु] में प्राप्त मेरिट इंडेक्स/रैंक के आधार पर प्रवेश हुआ है।
- **स्थान की वरीयता (मुख्य परिसर के संकाय/विभाग या आरजीएससी या संबंधित महाविद्यालय) :** यह वरीयता विकल्प तभी उपलब्ध होगा जब पाठ्यक्रम एक से अधिक स्थानों पर संचालित किया जाता हो।
- **सीट का प्रकार :** क्या अभ्यर्थी केवल नियमित शुल्क वाली सीटों पर प्रवेश चाहता है या यदि नियमित शुल्क वाली सीटें भर गईं हों तो पेड सीट के अंतर्गत प्रवेश लेने का इच्छुक है। यह वरीयता विकल्प विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों तथा कतिपय अन्य नियमित/वृत्तिक (प्रोफेसनल) पाठ्यक्रमों (यथा-मुख्य परिसर में एमसीए) हेतु उपलब्ध नहीं होगा।

नोट :

अभ्यर्थी अपना वरीयता क्रम सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन वरीयता फार्म में कोई भी स्थान खाली न छोड़ें। यदि कोई स्थान खाली छोड़ा जाता है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी उस विकल्प हेतु इच्छुक नहीं है। ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि फार्म में बदलाव करने का एक दूसरा मौका अभ्यर्थी को काउंसलिंग के दिन (दस्तावेजों के सत्यापन से पहले) दिया जाएगा। नियमित शुल्क की सीटें भर जाने के बाद ही पेड सीट के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के समय वरीयता प्रविष्टि फार्म भरते समय पेड सीट का विकल्प चुना है उन्हें मेरिट के क्रम, पाठ्यक्रम हेतु उनकी वरीयता (जैसा कि

वरीयता प्रविष्टि फार्म में दिया गया है) तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी जिसे प्रारंभ में अपनी निचली वरीयता की नियमित शुल्क वाली सीट पर अस्थायी प्रवेश मिला है और पेड सीट के अंतर्गत उसे उच्चतर वरीयता के पाठ्यक्रम/आनर्स/आनर्स (समूह)/स्थान में प्रवेश पाने का अवसर मिलता है तो उसे उसकी निचली वरीयता से उच्च्तर वरीयता में प्रतिस्थापित होने पर पाठ्यक्रम हेतु पेड सीट पर विचार किया जाएगा।

चरण-2 : काउंसलिंग के दिन का क्रिया-कलाप

- बुलावा पत्र में दी गई तिथि व समय पर काउंसलिंग स्थान पर पहुंचे। काउंसलिंग केन्द्र/स्थान के प्रभारी से संपर्क करें और काउंसलिंग केन्द्र के प्रभारी के पास उपलब्ध उपस्थिति पत्रक पर अपने हस्ताक्षर करें।
- काउंसलिंग केन्द्र/स्थान पर मौजूद अध्यापक से उपलब्ध आनर्स/पाठ्यक्रम संयोजन (विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय इत्यादि), स्नातक पाठ्यक्रमों के विकल्प (यदि एक से अधिक पाठ्यक्रमों हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है), स्थान, शुल्क संरचना, छात्रावासों की उपलबधता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि आप अपने वरीयता (पहले ऑलनाइन भरे गए) में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस चरण में कर सकते हैं। परिवर्तन हेतु काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी से अनुरोध करें। वरीयता प्रविष्टि फार्म पूर्ण हो जाने के बाद इसका प्रिंट निकालें, इस पर हस्ताक्षर करें और जरूरी कागजातों के साथ सत्यापन डेस्क पर जमा करें। **काउंसलिंग तिथि को एक बार अभ्यर्थी द्वारा वरीयता प्रविष्टि फार्म पर हस्ताक्षर करने व इसकी पुष्टि कर दिए जाने पर इसे अंतिम माना जाएगा और बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।** प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट क्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा भरे गए वरीयता क्रम व सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का आवंटन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा।

नोट : यदि आरक्षित संवर्ग के मेधावी अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ बुलाया जाता है तो उसकी अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों पर उसका दावा बरकरार रहेगा।

- यदि आपको अस्थायी रूप से प्रवेश दिया गया है तो **काउंसलिंग के अगले दिन पूर्वाह्न 10.00 बजे** काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी से अस्थायी प्रवेश पत्र प्राप्त करें। काउंसलिंग की तिथि को जिस पाठ्यक्रम में आपको अस्थायी प्रवेश दिया गया है, प्रवेश पत्र में वह पाठ्यक्रम, भुगतान की जाने वाली प्रवेश शुल्क (नियमित शुल्क), शुल्क जमा करनेकी अंतिम तिथि **(सामान्यत: काउंसलिंग तिथि के अगले दिन अपराह्न 4.00 बजे तक)** वह दर्शाया गया होगा। यदि आपको विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम या पेड सीट में अस्थायी प्रवेश दिया गया है तो आपको उस पाठ्यक्रम की नियमित शुल्क के अलावा विशेष पाठ्रयक्रम/पेड सीट शुल्क का भी भुगतान करना होगा। कृपया काउंसलिंग केन्द्र प्रभारी से धनराशि, भुगतान की विधि तथा विशेषपाठ्यक्रम/पेड सीट शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी कर लें।

- **प्रवेश शुल्क (विश्वविद्यालय की नियमित शुल्क) के भुगतान की विधि :** काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी से अस्थायी प्रवेश पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे :
  क) प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान
  ख) शुल्क काउंटरों (काउंसलिंग केन्द्र/स्थान के नजदीकी काउंटर का पता कर लें) पर शुल्क का नकद भुगतान

चरण-3 : काउंसलिंग तिथि के अगले के दिन की गतिविधि

काउंसलिंग **के अगले दिन** (शुल्क भुगतान हेतु अंतिम समय सीमा) **अपराह्न 4.00 बजे तक अभ्यर्थी को काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी के पास शुल्क भुगतान कर देने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।** यदि शुल्क का भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ऑनलाइन किया गया है तो शुल्क भुगतान कर देने का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी यदि अंतिम समय सीमा तक शुल्क भुगतान कर देने का साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि वह प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और उसका अस्थायी प्रवेश पत्र निरस्त माना जाएगा / वापस ले लिया जाएगा।

नोट

(i) (i) काउंसलिंग के प्रत्येक दिन तथा (ii) शुल्क भुगतान हेतु अंतिम समय सीमा के बाद सीटों का कंप्यूटरीकृत आवंटन/पुनर्प्रबंधन मेरिट के क्रम में तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके द्वारा भरे गए वरीयता क्रम में उच्चतर स्थान प्राप्त हो सकता है यदि काउंसलिंग के दिन/काउंसलिंग के बाद यदि किसी अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग में सम्मिलित हुआ हो, की उच्चतर वरीयता वाली सीट खाली रह जाती है। यह कंप्यूटर द्वारा स्वत: हो जाएगा। काउंसलिंग की अंतिम तिथि को शुल्क भुगतान की अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद ही कंप्यूटर द्वारा अंतिम आवंटन किया जाएगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के आधार पर पाठ्यक्रम विकल्प, स्थान और सीट के प्रकार (नियमित से पेड सीट तथा विलोमत:) में परिवर्तन हो सकेगा। इस तरह से किया गया अंतिम आवंटन अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) ऊपर उल्लिखित समस्त मूल दस्तावेज अभ्यर्थी के पास होने चाहिए। तथापि, **सम्बन्धित परीक्षा प्राधिकरण के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अंकपत्र (प्रवेश समिति के सत्यापन के अधीन), गोपनीय अंक पत्र अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/परीक्षा नियंता या सम्बन्धित बोर्ड के सचिव (सीनियर सेकेंडरी स्तर की अर्हता परीक्षा के मामले में) द्वारा जारी किया गया हो, को भी प्रवेश के समय स्वीकार किया जाएगा। प्रवेश पत्र में दी गई निर्धारित अवधि के भीतर शुल्क जमा न होने पर आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।**

21. स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.ई.टी.) 2016 का कार्यक्रम (प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे)

प्रथम पाली का समय : पूर्वाह्न 8.00 बजे से
द्वितीय पाली का समय : अपराह्न 3.00 बजे से

दिन	तिथि	पाली	पाठ्यक्रम/विषय
रविवार	10/04/2016	प्रथम	एम.पी.एड. (सैद्धांतिक); एम.एससी. - स्वास्थ्य सांख्यिकी
		द्वितीय	कृषि-व्यवसाय प्रबंधन निष्णात
रविवार	17/04/2016	प्रथम	एमपीए- गायन, वादन तथा एमपीए नृत्य (सैद्धांतिक*) ; एमबीए - कृषि व्यवसाय
		द्वितीय	पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन निष्णात
रविवार	24/04/2016	प्रथम	एम.ए. सामाजिक कार्य
		द्वितीय	एमएफए (सैद्धांतिक*); एम.एससी.- जैवसूचना विज्ञान
रविवार	15/05/2016	प्रथम	एम.एससी.(कृषि) - मृदा एवं जल संरक्षण
		द्वितीय	कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध निष्णात
रविवार	22/05/2016	प्रथम	एम. टेक. कृषि अभियांत्रिकी (मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी) एम.कॉम.
		द्वितीय	एम.एससी. - भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, संगणक विज्ञान; एम.एससी. - भूगर्भविज्ञान, एम.एससी. - पोट्रोलियम भूविज्ञान
रविवार	29/05/2016	प्रथम	सम्मिलित प्रवेश परीक्षा [एमबीए (वित्तीय प्रबंधन)/ एमबीए (विदेशी व्यापार)/ एमबीए (जोखिम एवं बीमा)]
		द्वितीय	कारपोरेट संचार प्रबंधन निष्णात
बुधवार	01/06/2016	प्रथम	एम.ए.- जन संप्रेषण
		द्वितीय	एम.लिब.आई.एससी
वृहस्पतिवार	02/06/2016	प्रथम	एम.एससी.(कृषि); एम.एड ; तथा एम.ए.- प्रयोजनमूलक हिंदी (पत्रकारिता)
		द्वितीय	एम.एससी.(कृषि) कृषिवानिकी
शुक्रवार	03/06/2016	प्रथम	एम.ए.- अरबी, बंगाली, हिंदी, मराठी, फारसी, पालि, संस्कृत, तेलगू, उर्दू, नेपाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, आई.पी.आर., जर्मन एम.ए.- अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र

		द्वितीय	एम.ए.- समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन
शनिवार	04/06/2016	प्रथम	एम.एड.(विशेष) दृ.बा., एम.एड.(विशेष) श्र.बा. एम.ए.- प्रा. भा. इ. सं. एवं पुरातत्व, कला का इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषाविज्ञान एम.एससी.(टेक.) - भूभौतिकी; एम.एससी. - जैव रसायन
		द्वितीय	एम.एससी. - सांख्यिकी एवं संगणन; एम.ए.- शिक्षा
रविवार	05.06.2016	प्रथम	एम.एससी. - पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण प्रौद्योगिकी)
		द्वितीय	एम.एससी. - आणुविक एवं मानव आनुवांशिकी
सोमवार	06.06.2016	प्रथम	एम.ए. - लोक प्रशासन ; एम.एससी. - पादप जैवप्रौद्योगिकी
		द्वितीय	एम.एससी. - फोरेंसिक विज्ञान
मंगलवार	07.06.2016	प्रथम	एम.एससी. - पर्यावरण विज्ञान एम.एससी. - पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पुरालेखशास्त्र
		द्वितीय	एम.एससी. - संगणकीय विज्ञान एवं संकेत प्रसंस्करण में अनुप्रयोग
बुधवार	08.06.2016	प्रथम	एम.ए.- कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन एवं विकास
		द्वितीय	एम.ए./ एम.एससी. - भूगोल, गणित, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान; एम.ए. (संग्रहालय विज्ञान) ; आचार्य
वृहस्पतिवार	09.06.2016	प्रथम	एम.एससी. - प्रयुक्त सूक्ष्मजैविकी
		द्वितीय	कॉमन प्रवेश परीक्षा- एलएल.एम (2-वर्ष), एलएल.एम (1-वर्ष), एलएल.एम (मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा) एम.एससी. - खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
शुक्रवार	10.06.2016	प्रथम	कॉमन प्रवेश परीक्षा- खुदरा प्रबंधन व्यवसाय निष्णात / लॉजिस्टिक प्रबंधन व्यवसाय निष्णात/ आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन व्यवसाय निष्णात
		द्वितीय	एमसीए

एमपीए/एमपीए-संगीतशास्त्र, एमएफए हेतु व्यावहारिक परीक्षा तथा एम.पी.एड. हेतु शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण कार्यक्रम* (केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में आयोजित की जाएगी)		
वृहस्पतिवार से शनिवार	26.05.2016 से 28.05.2016	एम.पी.एड. हेतु शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण
नोट : व्यावहारिक परीक्षाओं में शामिल होने वाला चयनित अभ्यर्थी शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण - एम.पी.एड. हेतु खेलकूद के पहनावे/ किट में उल्लिखित तिथि को प्रातः 6.00 बजे बीएचयू परिसर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एम्फिथिएटर मैदान में रिपोर्ट करेगा।		
सोमवार से बुधवार	04.07.2016 से 06.07.2016	एमपीए तथा एमपीए-संगीतशास्त्र हेतु व्यावहारिक परीक्षा
बुधवार से वृहस्पतिवार	06.07.2016 से 07.07.2016	एमएफए हेतु व्यावहारिक परीक्षा

नोट :

*** एमपीए, एमपीए-संगीतशास्त्र, एमएफए तथा एम.पी.एड. अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ**

(i) **एमपीए, एमपीए-संगीतशास्त्र, एमएफए तथा एम.पी.एड.** के लिए परीक्षा का लिखित भाग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा। तथापि, **चयनित अभ्यर्थियों (लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर लिए गए)** हेतु एम.पी.एड के लिए शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण [खण्ड 15 (v) देखें], एमपीए के लिए एक व्यावहारिक परीक्षा [खण्ड 15 (xvii) देखें], एमपीए-संगीतशास्त्र [खण्ड 15 (xviii) देखें] तथा एम.एफ.ए. के लिए [खण्ड 15 (xxvi) देखें] **केवल वाराणसी परीक्षा केन्द्र पर उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी**। चयनित अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल

पते/मोबाइल नंबर पर ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(ii) शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण/व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कम से कम 2-3 दिनों के लिए रुकने की व्यवस्था करके आना होगा।

(iii) **लिखित परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी एम.पी.एड. अभ्यर्थियों को खेलकूद के पहनावे/किट में अपनेप्रवेश पत्र तथा मूल प्रमाण पत्रों एवं उच्चतम खेलकूद सहभागिता प्रमाण पत्र की एक छायाप्रति के साथ उल्लिखित तिथि को प्रातः 6.00 बजे बीएचयू परिसर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एम्फिथिएटर मैदान में रिपोर्ट करना होगा।**